



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2014/अग्रहायण 10, 1936

No. 346]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2014/AGRAHAYANA 10, 1936

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2014

सं. मि. 51-1/2014 (राअधिप (मा तथा मानक)).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) के खण्ड 32 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2009 का प्रतिस्थापन करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद्वारा निम्न विनियम अधिसूचित करती है:—

(1) लघु शीर्ष और प्रवर्तन:—(1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2014 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन विनियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' का आशय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) से है।

(ख) 'संयुक्त संस्थान' का आशय विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान से है जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए आवेदन करते समय स्थिति अनुसार उदार कलाओं अथवा मानविकियों अथवा सामाजिक विज्ञानों अथवा विज्ञानों अथवा वाणिज्य अथवा गणित के क्षेत्र में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

(ग) 'समापन' का आशय अथवा ऐसा संस्थान जो एक से ज्यादा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करना रहा है। संस्थान द्वारा प्रस्तुत औपचारिक आवेदन पत्र के आधार पर परिषद द्वारा जिस संस्थान को मान्यता दी गई है अथवा कार्यक्रम की अनुमति दी गई है उसे निरस्त करना अथवा बन्द करना।

(घ) यहां प्रदत्त तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) में परिभाषित अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो कि उपर्युक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. प्रयोज्यता

ये विनियम संस्थानों की मान्यता के लिए मानदंड और मानक तथा क्रियाविधियां तैयार करने, नए कार्यक्रम शुरू करने, वर्तमान संस्थानों में मौजूदा कार्यक्रम के अतिरिक्त नया कार्यक्रम आरम्भ करने एवं मौजूदा कार्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित सभी विषयों पर लागू होंगे, यथा

(क) नए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए जिनको संयुक्त संस्थानों द्वारा मान्यता हेतु संचालन किया जायेगा

(ख) परिषद द्वारा विधिवत रूप से मान्यता प्रदत्त मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थानों में नए कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति

(ग) परिषद द्वारा विधिवत रूप से मान्यता प्रदत्त मौजूदा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में अतिरिक्त प्रवेश क्षमता के लिए अनुमति

(घ) मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थानों को स्थान बदलने अथवा परिसर का स्थान बदलने की अनुमति

(ड) स्थिति अनुसार मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों संस्थानों के समापन अथवा बन्द करने के लिए अनुमति, शर्त यह है कि मुक्त तथा दूरस्थ अधिगम के जरिए चलाए जा रहे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के मामले में ऐसे प्रत्येक अधिगम कार्यक्रम के लिए संबंधित मानदंड और मानक लागू होंगे।

4. पात्रता: संस्थानों की निम्न श्रेणियां इन विनियमों के अधीन विचार किए जाने की पात्र हैं, यथा

(क) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन स्थापित संस्थान

(ख) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वित्तपोषित संस्थान

(ग) डीमड विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालय जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का तीसरा) के अधीन इस प्रकार मान्यता प्रदत्त अथवा घोषित किया गया हो।

(घ) समुचित विधि के अधीन पंजीकृत 'अलाभकारी' सोसायटियों तथा न्यासों द्वारा स्थापित तथा संचालित अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 (2013 का 18वां) के अधीन किसी कम्पनी द्वारा स्थापित तथा संचालित स्ववित्त पोषित शैक्षिक संस्थान।

5. आवेदन पत्र तैयार करने की विधि और समय सीमा—(1) विनियम 4 के अधीन पात्र ऐसा संस्थान जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने का इच्छुक है, प्रोसेसिंग फीस तथा अपेक्षित दस्तावेजों सहित निर्धारित आवेदन पत्र में मान्यता के लिए संबंधित क्षेत्रीय समिति को आवेदन कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि संस्थान परिसर को बदलने अथवा अतिरिक्त प्रवेश क्षमता अथवा अतिरिक्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों जैसी भी स्थिति हो के लिए एक साथ आवेदन पत्र कर सकता है।

आगे यह शर्त कि मौजूदा संस्थान, परिषद द्वारा मान्यता प्रदत्त एक अथवा अनेक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम/कार्यक्रमों के बन्द किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) आवेदन पत्र परिषद की वेबसाइट अथवा www.ncte-india.org से तथा मुक्त और दूरस्थ अधिगम द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों के लिए विभिन्न फार्म डाउनलोड किए जा सकते हैं।

(3) आवेदन पत्र प्रोसेसिंग फीस तथा अपेक्षित दस्तावेज जैसे कि संबंधित संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा जारी किए गए अनापति प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रतियों सहित इलैक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से आनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित किया जाना कि आवेदन पत्र के अंत में समुचित स्थान पर डिजिटल हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।

(4) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए पंजीकृत भूमि दस्तावेज की एक प्रति जिसमें यह दर्शाया गया हो कि कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाली सोसायटी अथवा संस्थान आवेदन की तारीख को भूमि उनके अधिकार में है, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।

(5) सभी दृष्टियों से विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र जिस शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता मांगी जा रही है उसके पूर्ववर्ती वर्ष की 1 मार्च से 31 मई की अवधि के बीच संबंधित क्षेत्रीय समिति को प्रस्तुत करना होगा:

शर्त यह है कि उपर्युक्त अवधि अध्यापक शिक्षा के नवाचारी कार्यक्रमों के आवेदन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर लागू नहीं होगी।

(6) 1 मार्च और 31 मई के बीच प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर अगले शैक्षणिक वर्ग के लिए कार्रवाई की जाएगी और अंतिम निर्णय जो मान्यता प्रदान किए जाने अथवा इन्कार किए जाने के रूप में हो सकता है आगामी वर्ष की 3 मार्च को या इससे पूर्व आवेदनकर्ता को सूचित किया जाएगा।

6. प्रोसेसिंग फीस — प्रोसेसिंग फीस राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमावली 1997 के समय-समय पर यथासंशोधित नियम 9 के अधीन यथानिर्धारित होगी जोकि कोई अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने अथवा कार्यक्रम या मौजूदा कार्यक्रम के दाखिले में वृद्धि की मान्यता प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पत्र प्रोसेस करने के निमित्त प्रार्थी द्वारा परिषद द्वारा यथाअधिसूचित नामित बैंक में ऑनलाइन जमा की जाएगी।

7. आवेदन पत्रों को प्रोसेस करना—(1) यदि कोई आवेदन पत्र पूरा नहीं है अथवा उसके साथ अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो ऐसे आवेदन पत्र को अधूरा और अस्वीकृत समझा जाएगा तथा आवेदन फीस जब्त कर ली जाएगी।

(2) आवेदन पत्र निम्न में से एक अथवा अधिक परिस्थितियों के अधीन सरसरी तौर अस्वीकार कर दिया जाएगा:

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को या उससे पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमावली 1997 के नियम 9 के अधीन यथानिर्धारित आवेदन फीस जमा न कराना।

(ख) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराए जाने के 15 दिन के भीतर विनियम 5 के उपविनियम (4) के अधीन यथाअपेक्षित भूमि दस्तावेजों सहित आनलाइन जमा कराए गए आवेदन पत्रों का प्रिंटआउट प्रस्तुत न करना।

(3) आवेदन पत्र में कोई गलत जानकारी देने अथवा ऐसे तथ्यों के छिपाने के फलस्वरूप जो निर्णय लेने की प्रक्रिया अथवा मान्यता प्रदान किए जाने से संबंधित निर्णय को प्रभावित करते हों संस्थान के प्रबंधक वर्ग के विरुद्ध अन्य कानूनी कार्यवाही के

अलावा संस्थान को मान्यता से इन्कार किया जाएगा। मान्यता इन्कार किए जाने का आदेश संस्थान को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से एक समुचित मौका दिए जाने के बाद पारित किया जाएगा।

(4) संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति सहित एक लिखित पत्र क्षेत्रीय समिति के कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर क्षेत्रीय समिति में मूल आवेदन पत्र की प्राप्ति के कालक्रमानुसार क्रम में राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा संबंधन प्रदान करने वाले संबंधित निकाय को भेजा जाएगा।

(5) पत्र प्राप्त होने पर राज्य सरकार अथवा संबंधित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्थिति अनुसार राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र को पत्र जारी किए जाने की तारीख से 45 दिन के भीतर क्षेत्रीय समिति को सिफारिशें अथवा टिप्पणियां भेजेगी। यदि राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र मान्यता दिए जाने के पक्ष में नहीं है तो वह उसके बारे में आवश्यक आंकड़ों सहित विस्तृत कारण अथवा आधार प्रस्तुत करेगी जिन पर आवेदन पत्र का निपटान करते समय संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(6) यदि राज्य सरकार की सिफारिश उपर्युक्त अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती तो संबंधित क्षेत्रीय समिति राज्य सरकार को एक अनुस्मारक भेजेगी जिसमें प्रस्ताव के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो एक दूसरा अनुस्मारक भेजा जाएगा जिसमें अनुस्मारक जारी किए जाने के 15 दिन के भीतर सिफारिश देने के लिए कहा जाएगा। यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो क्षेत्रीय समिति आवेदन को प्रोसेस करेगी और गुणदोष के आधार पर निर्णय लेगी तथा क्षेत्रीय समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने को राज्य सरकार से टिप्पणियां अथवा सिफारिश प्राप्त न होने के आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा।

(7) राज्य सरकार की सिफारिश पर विचार करने के बाद या स्वयं अपने गुण दोषों के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय समिति यह निर्णय लेगी कि पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए संस्थान की तैयारी का जायजा लेने के लिए संस्थान का विशेषज्ञों के एक दल द्वारा जिसे निरीक्षण दल कहा जाता है निरीक्षण कराया जाएगा। मुक्त तथा दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के मामले में अध्ययन केन्द्रों का निरीक्षण भी किया जाएगा। निरीक्षण संस्थान की सहमति के अध्वधीन नहीं होगा बल्कि निरीक्षण कराने का क्षेत्रीय समिति का निर्णय संस्थान को इस निदेश के साथ सूचित किया जाएगा कि निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र की तारीख से दस दिन के बाद किसी भी दिन कराया जाएगा। क्षेत्रीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि निरीक्षण सामान्यतः संस्थान को पत्र की तारीख के तीस दिन के भीतर करा दिया जाए। संस्थान से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह निरीक्षण के समय निरीक्षण दल को सक्षम सिविल प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए भवन संपूर्ति प्रमाण पत्र सहित यदि वह पूर्व में प्रस्तुत न किया गया हो परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में भवन संपूर्ति प्रमाणपत्र तथा अन्य तैयारी से संबंधित विवरण उपलब्ध कराएगा।

शर्त यह है कि क्षेत्रीय समिति ऐसे निरीक्षण उसके द्वारा स्वीकार किए जाने वाले मामलों के लिए नितान्ततः आवेदन पत्रों की प्राप्ति के कालक्रमानुसार कराएगी।

आगे यह शर्त है कि निरीक्षण के लिए परिषद द्वारा स्वीकृत विशेषज्ञों के पैनल में से तथा परिषद की निरीक्षण दल नीति के अनुसार निरीक्षण दल के सदस्यों की बाबत निर्णय लिया जाएगा।

(8) विशेषज्ञों के दल द्वारा संस्थान के दौरे के समय संबंधित संस्थान निरीक्षण को ऐसे ढंग से वीडियोग्राफ कराएगा कि प्रबन्धकवर्ग तथा संकाय के साथ, यदि दौरे के समय वह उपलब्ध हो तो वैचारिक आदान-प्रदान सहित महत्वपूर्ण मूलभूत अनुदेशात्मक सुविधाएं वीडियोग्राफ हो जाएं। निरीक्षण दल वीडियो रिकार्डिंग के साथ-साथ अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप देगा और जहां तक संभव होगा उसी दिन कूरियर कर देगा।

शर्त यह है कि वीडियोग्राफी को भवन का बाहरी दृश्य, उसका परिवेश, पहुंच मार्ग तथा क्लासरूमों, प्रयोगशालाओं, संसाधन कक्षों, बहुप्रयोजन हाल, पुस्तकालय तथा अन्य सहित महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाओं को स्पष्टतः दर्शाना चाहिए। निरीक्षण दल यह सुनिश्चित करेगा कि वीडियोग्राफी अविच्छिन्न रूप से की जाए, वीडियोग्राफी की अंतिम असम्पादित प्रति उसकी रिकार्डिंग के तत्काल बाद उन्हें सौंप दी जाए तथा सीडी में उसका रूपान्तरण निरीक्षण दल सदस्यों की उपस्थिति में किया जाएगा।

आगे यह शर्त है कि नए पाठ्यक्रमों अथवा मौजूदा पाठ्यक्रम के दाखिले में वृद्धि के लिए निरीक्षण के समय निरीक्षण दल मौजूदा मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए सुविधाओं का आंकलन करेगा और साथ ही मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए भी विनियमों तथा मानदंडों और मानकों की पूर्ति और रखरखाव का आंकलन करेगा।

(9) निरीक्षण दल की वीडियो रिकार्डिंग अथवा सीडी सहित आवेदन पत्र और रिपोर्ट विचार किए जाने और उपयुक्त निर्णय लिए जाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(10) क्षेत्रीय समिति मान्यता अथवा अनुमति प्रदान किए जाने के बारे में केवल इस संबंध में अपनी तसल्ली करने के बाद ही निर्णय लेगी कि संस्थान संबंधित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मानदंडों और मानकों सहित राष्ट्रीय परिषद द्वारा अधिनियम, नियमों तथा विनियमों के अधीन निर्धारित सभी शर्तों की पूर्ति करता है।

(11) मान्यता प्रदान किए जाने के मामले में क्षेत्रीय समितियां विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मानदंडों और मानकों सहित अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत पूर्णरूपेण कार्य करेगी।

(12) क्षेत्रीय निदेशक जो कि क्षेत्रीय समिति के संयोजक हैं क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंडों और मानकों सहित अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों में सही प्रावधान क्षेत्रीय समिति की जानकारी में लाए जायें जिससे कि समिति उपयुक्त निर्णय लेने की स्थिति में हो सके।

(13) संबंधित संस्थान को शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले यो 4 संकाय की नियुक्ति किए जाने के अध्वधीन एक आशय पत्र के माध्यम से मान्यता अथवा अनुमति प्रदान किए जाने की बाबत सूचित किया जाएगा।

इस धारा के अधीन जारी किए जाने वाला आशय पत्र राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया जाएगा लेकिन संस्थान को और संबंधन प्रदान करने वाले निकाय को इस अनुरोध के साथ भेजा जाएगा कि राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार योग्य स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए और यह सुनिश्चित करने में संस्थान को पूरा सहयोग प्रदान किया जाए कि स्टाफ अथवा संकाय परिषद के मानदंडों के अनुसार दो महीने के भीतर नियुक्त कर लिया जाए। संस्थान संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।

(14) (1) सभी प्रार्थी संस्थान क्षेत्रीय समिति से आशय पत्र की प्राप्ति के शीघ्र बाद परिषद तथा तदनुरूपी क्षेत्रीय कार्यालय वेबसाइटों के साथ हाइपरलिंक सहित स्वयं अपना वेबसाइट शुरू करेगा जिसमें सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ संस्थान के विवरण, इसका स्थान, जिस कार्यक्रम के लिए आवेदन किया गया है, वह कार्यक्रम तथा दाखिल, मूलभूत सुविधाओं जैसे कि भूमि, भवन, कार्यालय, क्लासरूम तथा अन्य सुविधाओं अथवा सुख-साधनों, अनुदेशात्मक सुविधाओं जैसे कि प्रयोगशाला और पुस्तकालय की उपलब्धता और फोटोग्राफ सहित उनके प्रस्तावित शिक्षण संकाय तथा शिक्षणोत्तर संकाय के विवरण दिए गए होंगे। वेबसाइट पर निम्न में से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी यथा:

- (क) संस्थान के वार्षिक दाखिले सहित स्वीकृत कार्यक्रम
- (ख) स्कूल प्रमाणपत्र में यथानिर्दिष्ट संकाय तथा स्टाफ की अर्हताओं, वेतन मान तथा फोटोग्राफ सहित विवरण
- (ग) संकाय के उन सदस्यों के नाम जिन्होंने पिछली तिमाही में संस्थान छोड़ दिया अथवा संस्थान में कार्यभार संभाला
- (घ) चालू सत्र में दाखिल किए गए छात्रों के नाम, उनकी अर्हता, अर्हकपरीक्षा और प्रवेश परीक्षा में यदि कोई हो तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत, दाखिले की तारीख और ऐसी अन्य जानकारी
- (ङ) छात्रों से ली जाने वाली फीस
- (च) उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं
- (छ) पिछली तिमाही में जोड़ी गई सुविधाएं
- (ज) पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या, जिन पत्रिकाओं के लिए चंदा दिया गया है तथा पिछली तिमाही में वृद्धियां यदि कोई हों तो।

(ii) संस्थान को यदि वह चाहे तो कोई अन्य संगत जानकारी प्रस्तुत करने की छूट रहेगी।

(iii) इसकी वेबसाइट पर कोई भी गलत अथवा अधूरी जानकारी के कारण संस्थान की मान्यता रद्द की जा सकेगी।

15. संबंधित कार्यक्रमों के मानदंडों और मानकों के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित संकाय अथवा स्टाफ की नियुक्ति कर लेने तथा विनियम 8 के अधीन शर्तें पूरी कर लेने के बाद संस्थान संबंधित क्षेत्रीय समिति को ऐसी नियुक्तियों की बाबत औपचारिक रूप से सूचित करेगा।

16. संस्थान द्वारा संकाय के चयन अथवा नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान करने वाला पत्र भी क्षेत्रीय समिति को उपलब्ध कराया जाएगा जिसके साथ यह सिद्ध करने वाला दस्तावेज संलग्न किया जाएगा कि स्थायी निधि और आरक्षित निधि की सावधि जमा रसीदें एक संयुक्त खाते में बदल दी गई हैं तथा उपर्युक्त विवरण प्राप्त होने के बाद संबंधित क्षेत्रीय समिति मान्यता का एक औपचारिक आदेश भेजेगी जिसे अधिनियम में यथाउपबंधित के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

17. जिन मामलों में निरीक्षण दल की रिपोर्ट तथा रिकार्ड पर उपलब्ध अन्य तथ्यों पर विचार कर लेने के बाद क्षेत्रीय समिति का यह मत हो कि संस्थान पाठ्यक्रम शुरू करने अथवा चलाने अथवा दाखिले में वृद्धि के लिए अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता, उनमें क्षेत्रीय समिति संस्थान को सुनवाई का एक मौका प्रदान करने के बाद कमियों को पूरा करने अथवा निरीक्षण के लिए कोई और मौका देने से इन्कार करने का एक आदेश पारित करेगी, जिसके कारण लिखित रूप में अभिलेखबद्ध किए जाने होंगे: शर्त यह है कि क्षेत्रीय समिति द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 18 के अधीन परिषद को अपील की जा सकती है।

18. निरीक्षण दल विशेषज्ञों के नामों सहित संस्थानों के निरीक्षण की रिपोर्टें क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

19. क्षेत्रीय समिति, कार्यक्रम बन्द करने के लिए आवेदन पत्र पर उसी तरीके से कार्रवाई करेगी जो कि नए कार्यक्रमों अथवा अतिरिक्त कार्यक्रमों अथवा अतिरिक्त कार्यक्रमों अथवा अतिरिक्त दाखिले के लिए निर्धारित है।

8. मान्यता प्रदान किए जाने की शर्तें:

(1) नए अध्यापक शिक्षा संस्थान संयुक्त संस्थानों में स्थित होंगे तथा मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थान स्वतंत्र संस्थानों के रूप में काम करना जारी रखेंगे और धीरे-धीरे संयुक्त संस्थान बनने की दिशा में प्रयास करेंगे।

(2) अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम अथवा प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए संस्थान को मानदंडों तथा मानकों से संबंधित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होगी। इन मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों, आवास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला अन्य मूलभूत सुविधा, शिक्षण और शिक्षणोत्तर कार्मिकों सहित योग्य स्टाफ सम्बन्धी अपेक्षाओं का भी प्रावधान है।

(3) जिस संस्थान को परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई है; वह ऐसी मान्यता की तारीख से पांच वर्षों के भीतर परिषद द्वारा अनुमोदित प्रत्यायन एजेंसी से प्रत्यायन प्राप्त करेगी।

(4) (i) इन विनियमों के अधीन किसी भी संस्थान को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उस संस्थान अथवा संस्थान को प्रायोजित करने वाली सोसायटी के पास आवेदन की तारीख को अपेक्षित भूमि पर उपलब्ध न हो। सभी अवरोधों से मुक्त भूमि मालिकाना आधार पर अथवा सरकार या सरकारी संस्थानों से कम से कम तीस वर्षों के पट्टे पर होनी चाहिए। ऐसे मामलों में जिनमें संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र नियमों के अधीन पट्टे की अधिकतम अनुमत्य अवधि तीस वर्ष से कम है, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र का नियम लागू होगा और किसी भी स्थिति में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए कोई भी भवन पट्टे पर नहीं लिया जाएगा।

(ii) संस्थान को प्रायोजित करने वाली सोसायटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित अध्यापक शिक्षा संस्थान के पास मानदंडों द्वारा यथानिर्धारित एक सु-सीमांकित भूक्षेत्र है।

(iii) संस्थान को प्रायोजित करने वाली सोसायटी को विनियम 7 के उपविनियम(16) के अधीन औपचारिक मान्यता आदेश के जारी किए जाने की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर भूमि और भवन को संस्थान के नाम अंतरित करना होगा तथा उसका हकनामा संस्थान में निहित करना होगा। तथापि यदि सोसायटी स्थानीय विधियों अथवा नियमों अथवा उपनियमों के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहती है तो वह दस्तावेजी साक्ष्य सहित लिखित रूप से अपनी असमर्थता सूचित करेगी। क्षेत्रीय कार्यालय इस जानकारी को रिकार्ड पर रखेगा और इसे अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(5) संस्थान अथवा सोसायटी ओथ कमिश्नर अथवा नोटेरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें ये विवरण दिए गए होंगे: भूमि का सही स्थान(खसरा नम्बर, गांव, जिला, राज्य आदि) कुल क्षेत्र जो कब्जे में है तथा भूमि को शैक्षिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की सक्षम प्राधिकारी की अनुमति तथा कब्जे की विधि अर्थात् मालिकाना या पट्टे पर है। सरकारी संस्थानों के मामले में उपर्युक्त शपथ पत्र संस्थान के प्रिंसिपल अथवा अध्यक्ष अथवा किसी अन्य उच्च अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस शपथ पत्र के साथ पंजीकरण प्राधिकारी अथवा सिविल प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए भूमि के स्वामित्व अथवा पट्टा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के साथ विनियम 5 के उपविनियम (4) में निहित प्रावधान के अनुसार शैक्षिक प्रयोजनों के लिए भूमि का प्रयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति तथा स्वीकृत भवन नक्शा संलग्न करनी होगी।

(6) संस्थान द्वारा शपथ पत्र की प्रति उसकी अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु अधूरी अथवा गलत पाई जाती है, सोसायटी अथवा ट्रस्ट अथवा संबंधित संस्थान के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य संगत विधियों के प्रावधानों के अधीन सिविल तथा दण्डिक कार्रवाई की जा सकती है।

(7) निरीक्षण के समय संस्थान का भवन, उसके कब्जे की भूमि पर सभी जरूरी सुविधाओं से सुसज्जित तथा मानदंडों और मानकों में निर्धारित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले एक स्थायी ढांचे के रूप में पूरा होना चाहिए। प्रार्थी संस्थान, सत्यापन के लिए निरीक्षण दल को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल संपूर्ति प्रमाण पत्र, भवन की संपूर्ति और निर्मित क्षेत्र के प्रमाण में भवन का स्वीकृत नक्शा तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। संस्थान में किसी भी अस्थायी ढांचे अथवा ऐस्बसटास की छतों की अनुमति नहीं होगी, भले ही वह निर्धारित निर्मित क्षेत्र के विस्तार के रूप में हो।

(8) नए कार्यक्रम अथवा दाखिले में वृद्धि के लिए निरीक्षण के समय निरीक्षण दल, जिस मौजूदा कार्यक्रम के लिए परिषद द्वारा पहले ही मान्यता दी जा चुकी है उसके लिए सुविधाओं का भी सत्यापन करेगा और साथ ही मौजूदा कार्यक्रमों के लिए विनियमों तथा मानदंडों और मानकों की पूर्ति और अनुरक्षण का भी पता लगाएगा।

(9) परिसर बदलने के स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय समिति की पूर्व-अनुमति जरूरी होगी जो कि नए स्थान पर संस्थान का निरीक्षण किए जाने बाद दी जा सकती है। परिसर बदलने की पूर्व अनुमति के लिए संस्थान द्वारा परिसर बदलाव के लिए प्रोसेसिंग फी तथा सभी संगत दस्तावेज सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आनलाइन क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा। ऐसे स्थान पर बदलाव की अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिए यदि आरम्भ में आवेदन किया गया होता तो वह परिषद के निर्धारित मानदंडों के अनुसार संस्थान की स्थापना के लिए अर्हता प्राप्त पाया जाता। इसके बाद यह बदलाव वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।

(10) विश्वविद्यालय अथवा परीक्षण निकाय विनियम 7 के उपविनियम (16) के अधीन औपचारिक मान्यता जारी किए जाने के बाद ही संबंधन प्रदान करेगा और संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा संबंधन के बाद ही दाखिले किए जाएंगे।

(11) जब कभी अध्यापक शिक्षा में किसी कार्यक्रम के मानदंडों तथा मानकों में कोई बदलाव किया जाता है, संस्थानों को तत्काल संशोधित मानदंडों और मानकों में निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करना होगा। तथापि भूक्षेत्र संबंधी संशोधित मानदंड मौजूदा संस्थानों पर लागू नहीं होंगे लेकिन मौजूदा संस्थानों को संशोधित मानदंडों का पालन करने के लिए अपेक्षित निर्मित क्षेत्र बढ़ाना होगा और जिन संस्थानों के पास संशोधित मानदंडों के अनुसार भूक्षेत्र नहीं है, उन्हें अतिरिक्त कार्यक्रमों अथवा अतिरिक्त दाखिले के रूप में विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(12) संस्थान को, जब कभी जरूरी होगा परिषद अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी मान्यता की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।

(13) संस्थान को ऐसे रिकार्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज, जो किसी शैक्षिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य हैं, विशेष रूप से ऐसे दस्तावेज रखने होंगे जो केन्द्रीय अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, संबंधन प्रदान करने वाले अथवा परीक्षण निकाय को संगत नियमों अथवा विनियमों तथा मानदंडों और मानकों अथवा अनुदेशों में निर्धारित किए गए हैं।

(14) संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी अधिकारिक वेबसाइट में अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा।

9. मानदंड तथा मानक: नीचे तालिका में दर्शाए गए कार्यक्रमों का संचालन करने वाले प्रत्येक संस्थान को विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 15 में यथानिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों का पालन करना होगा:

क्र.स.	मानदंड और मानक	परिशिष्ट संख्या
1.	स्कूल पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएसई) प्राप्त कराने वाला प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम	परिशिष्ट-1
2.	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाला प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम	परिशिष्ट-2
3.	प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (बी.एल.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में स्नातक कार्यक्रम	परिशिष्ट-3
4.	शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम	परिशिष्ट-4
5.	शिक्षा में मास्टर (एम.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम	परिशिष्ट-5
6.	शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाला शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम	परिशिष्ट-6
7.	शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला शारीरिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम	परिशिष्ट-7
8.	शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम	परिशिष्ट-8
9.	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाला मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम	परिशिष्ट-9
10.	शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम	परिशिष्ट-10
11.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य कला) प्राप्त कराने वाला कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य कलाएं) कार्यक्रम	परिशिष्ट-11
12.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन कलाएं) प्राप्त कराने वाला कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन कलाएं)	परिशिष्ट-12
13.	बी.ए. बी.एड./बी.एससी बी.एड. प्राप्त कराने वाला 4 वर्षीय समाकलित कार्यक्रम	परिशिष्ट-13
14.	शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम (अंशकालिक)	परिशिष्ट-14
15.	बी.एड. एम.एड. (समाकलित डिग्री) प्राप्त कराने वाला बी.एड. एम.एड. (3 वर्षीय समाकलित) कार्यक्रम	परिशिष्ट-15

10. वित्तीय प्रबंधन

स्ववित्तपोषी आधार पर कार्यक्रम चलाने वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों सहित स्ववित्तपोषी संस्थानों के मामले में, जहां विनियम 7 के उपविनियम 13 के अधीन आशय पत्र जारी किया गया है, किसी अनुसूचित बैंक में साविधि जमा के रूप में प्रति कार्यक्रम प्रति यूनिट के लिए पांच लाख रुपये की स्थायी निधि तथा प्रति कार्यक्रम अनुमोदित दाखिले के प्रति यूनिट के लिए सात लाख रुपये की आरक्षित निधि होगी जिसे प्रबंधक वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि तथा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक के संयुक्त नाम से एक साविधि जमा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा जिसे प्रत्येक पांच वर्षों के अन्तराल पर नवीकरण द्वारा सतत आधार पर बनाए रखा जाएगा।

(2) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार अथवा बोर्ड अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता को बैंक द्वारा अथवा बैंक में इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा। संस्थान कर्मचारियों को वेतन के भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि का पूरा रिकार्ड रखेगा जिसके विवरण स्वमूल्यांकन रिपोर्ट में दिए जा सकते हैं और जिनका परिषद अथवा राज्य सरकार अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा कभी भी सत्यापन किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक संस्थान अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर तक तथा सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित लेखाओं के निम्न विवरण प्रदर्शित करेगा:-

- वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
- वित्तीय वर्ष का आय और व्यय लेखा

(iii) वित्तीय वर्ष का प्राप्ति और भुगतान लेखा

11. **शैक्षणिक कलेण्डर:** - (1) सम्बंधन प्रदान करने वाले निकाय के लिए, इन विनियमों के अधीन परिशिष्ट 1 से 15 में निर्दिष्ट कार्यक्रमों में से प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरम्भ से कम से कम तीन महीने पहले समय सूची अथवा शैक्षणिक कलेण्डर निर्धारित करके अध्यापक शिक्षा संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया को विनियमित करना तथा निम्न विवरण उपलब्ध कराके समुचित प्रचार करना जरूरी होगा।

(क) दाखिलों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना के प्रकाशन की तारीख:

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए दाखिले के वास्ते आवेदन पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीख:

(ग) चयन परीक्षा अथवा इन्टरव्यू की तारीख:

(घ) अभ्यर्थियों की पहली, दूसरी तथा तीसरी सूची तथा दाखिले के समापन की अन्तिम तारीख के प्रकाशन की तारीख

(2) यह समूची प्रक्रिया दाखिले की सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की अवधि में पूरी कर ली जाएगी। सम्बंधन प्रदान करने वाला निकाय उसके द्वारा अधिसूचित समय-सूची अथवा शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करेगा। दाखिले की समाप्ति के बाद प्रत्येक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान संबंधित सम्बंधन प्रदान करने वाले अथवा परीक्षा निकायों को दाखिले की समाप्ति की अन्तिम तारीख से दो दिनों के भीतर दाखिल छत्रों की सूची प्रस्तुत करेगा जोकि संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।

12. **ढील देने का अधिकार**

केन्द्रीय सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र प्रशासन की सिफारिशों पर अथवा केवल इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए उक्त राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को संबंधित राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र में संस्थानों की किसी एक श्रेणी या वर्ग के बारे में इन विनियमों के प्रावधानों में ऐसे कारणों से, जो लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएंगे उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन ढील देने के लिए सक्षम होंगे जोकि ढील देने वाले आदेश में निर्दिष्ट की जाएंगी और निर्णय परिषद की जानकारी में लाए जाएंगे। तथापि, अपवादात्मक मामलों में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा विनियमों और संबंधित मानदंडों और मानकों के प्रावधानों में ढील देने का अधिकार होगा परन्तु लिखित में निर्णय के कारणों का उल्लेख करते हुए परिषद द्वारा संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. **निरसन और व्यावृत्ति:** - (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2009 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद, एतद्वारा जिन विनियमों का निरसन किया गया है उनके अधीन किया गया कोई भी कार्य अथवा की गई कार्रवाई अथवा किए जाने के लिए अभिप्रेत अथवा की गई कार्रवाई जहां तक वह इन विनियमों के प्रावधानों के प्रति परस्पर विरोधी नहीं है, इन विनियमों के तदनुरूपी प्रावधानों के अधीन की गई अथवा ली गई समझा जाएगा।

जुगलाल सिंह, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./131ए/14]

परिशिष्ट-1

विद्यालय-पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएसई) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

1.1 विद्यालय पूर्व शिक्षा का उद्देश्य एक अधिगम वातावरण अर्थात् आनन्दपूर्ण, बाल-केन्द्रित, खेल तथा क्रियाकलाप आधारित वातावरण में समग्र बाल विकास करना है। डीपीएसई का मौजूदा कार्यक्रम जिसे पूर्व में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में डिप्लोमा (डी.ई.सी.एड.) कहा जाता था का उद्देश्य विद्यालय पूर्व कार्यक्रमों के लिए जिनकी पेशकश नर्सरी स्कूलों, किंडरगार्टन स्कूलों तथा प्रारंभिक स्कूलों जैसे विभिन्न नामों के अधीन की जाती है अध्यापक तैयार करना है। यह कार्यक्रम 3 से 6 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को कवर करेगा।

2. अवधि तथा कार्य दिवस

2.1 अवधि

डीपीएसई कार्यक्रम की अवधि 2 शैक्षणिक वर्ष होगी। तथापि छात्रों को कार्यक्रम में दाखिले की तारीख से 3 वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर कार्यक्रम पूरा करने की छूट होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

(क) परीक्षा और दाखिले की अवधि को छोड़कर प्रत्येक वर्ष में कम से कम 200 कार्य-दिवस होंगे।

(ख) साझी सुविधाएं

जहां अध्यापक शिक्षा बहुत से संकायों और अध्ययन विभागों वाले विश्वविद्यालय/संस्थान के एक अभिन्न अंग के रूप में किसी विभाग/कॉलेज के द्वारा प्रदान की जाती है, वहां सभी केन्द्रीय सुविधाओं का उपयोग प्रारम्भिक शिक्षा विभाग और अन्य विभागों द्वारा आपस में साझा किया जाएगा। प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं के मामले में, आवश्यक अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी, ताकि बीईएलएड के विद्यार्थी उनका उपयोग कर सकें। विश्वविद्यालय/कॉलेज के केन्द्रीय पुस्तकालय के अलावा, बीईएलएड विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विभागीय पुस्तकालय का विकास भी किया जाएगा। संसाधन प्रयोगशाला को शिक्षाशास्त्र-आधारित प्रयोगात्मक कार्य और अन्य स्कूल संपर्क कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर के साथ-साथ पर्याप्त पठन सामग्री से भी सज्जित किया जाना चाहिए। श्रोताकक्ष, सम्मेलन कक्ष, आदि जैसी सुविधाओं का उपयोग अन्य विभागों के साथ बांट कर किया जा सकता है।

6.2 शैक्षणिक सुविधाएं

- (क) पाठ्यचर्या प्रयोगशाला हाथ में आए कार्य को निपटाने वाला प्रयोगशाला क्षेत्र होगा। प्रयोगशाला शिल्प, कोर (मूल) गणित, भाषा, कोर विज्ञान, समाज विज्ञान और शिक्षाशास्त्र के पाठ्यक्रमों और सामग्री विकास जैसे सिद्धांत और प्रायोगिकात्मक कार्य के पाठ्यक्रमों के इस प्रयोजन को पूरा करेगी। प्रयोगशाला में भाषाओं, विज्ञान, समाज विज्ञान और गणित से संबंधित सामग्री होगी, जैसे उपकरण, रसायन, किट, नक्शे, ग्लोब, और हथौड़े, चिमटे, कैंची, और तार जैसे औजार एवं उपकरण होंगे। लघु समूह क्रियाकलापों के लिए प्रयोगशाला में कार्य करने के मेज होने चाहिए। फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, जिसे एक जगह से खींच कर दूसरी जगह पर किया जा सके, ताकि फर्श पर काम करने की गुंजाइश हो सके। प्रयोगशाला में कक्षाएं आयोजित करने के लिए ओवरहोड प्रोजेक्टर, नोटिस बोर्ड और ब्लैकबोर्ड का इस्तेमाल करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
- (ख) संसाधन केन्द्र प्रयोगशाला विभागीय पुस्तकालय के प्रयोजन को पूरा करेगा। इसमें एक स्टोर होना चाहिए और पुस्तकों, पाठ्यचर्या सामग्रियों, बाल साहित्य, पाठपुस्तकें, रिपोर्टें और दस्तावेजों, श्रव्य-दृश्य उपस्कर, एलसीडी प्रोजेक्टर, डीवीडी प्लेअर, कैमरा, शिक्षा संबंधी फिल्मों, आदि तक पहुंच होनी चाहिए। सामग्रियां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी स्कूलों में भी उनका इस्तेमाल कर सकें। संसाधन केन्द्र में संकाय और विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए कम्प्यूटर सुविधा भी होनी चाहिए केन्द्र में विद्यार्थियों की सभाओं, कक्षाओं, समूह चर्चाओं के लिए और पढ़ने के भी लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
- (ग) किसी प्रदत्त कॉलेज/संयुक्त संस्था में विज्ञान प्रयोगशाला बीईएलएड की संकाय और उसके विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध होगी और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त स्थान और पर्याप्त संख्या में प्रयोगशाला सामग्रियों, उपस्कर, श्रव्य-दृश्य संसाधनों और कम्प्यूटरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (घ) कार्यशाला स्थान में रंगमंच कार्यशाला, आत्म-विकास कार्यशाला, शिल्प, संगीत और व्यायाम शिक्षा कार्यशाला (योग शिक्षा सहित) जैसे विशिष्ट प्रयोगात्मक क्रियाकलापों के संचालन के लिए दो अलग स्थानों की व्यवस्था होगी। इन स्थानों पर 25-30 विद्यार्थियों के समूह के लिए खुले रूप से आने जाने की गुंजाइश होनी चाहिए।

6.3 अन्य सुविधाएं

- (क) अनुदेशात्मक प्रयोजनों और अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर।
- (ख) वाहनों को पार्क करने के लिए प्रबन्ध किए जाएं।
- (ग) संस्था में सुरक्षित पेय जल की प्राप्ति।
- (घ) परिसर की नियमित रूप से सफाई करने के कारगर प्रबन्ध, जल और शौचालय सुविधाएं (पुरुषों, महिलाओं और पी डब्ल्यू डी के लिए अलग-अलग शौचालय), फर्नीचर और अन्य उपस्करों की मरम्मत और उनका प्रतिस्थापन।

(टिप्पणी : संयुक्त संस्थान के मामले में, उवसंरचनात्मक, अनुदेशात्मक और अन्य सुविधाओं का उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मिल-बांट कर किया जाएगा।)

7. प्रबंधन समिति

संस्थान में संबद्ध विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार गठित की गई एक प्रबन्ध समिति होगी। ऐसे मानदंडों के न होने पर, संस्था समिति का गठन स्वयं करेगी। समिति में संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी/न्यास/कम्पनी के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और अध्यापक-शिक्षक, संबद्ध विश्वविद्यालय और संकाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

परिशिष्ट-4

शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.) प्राप्त कराने वाले शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना :

शिक्षा स्नातक कार्यक्रम जिसे सामान्यतः बी.एड. कार्यक्रम कहा जाता है एक संवृत्तिक पाठ्यक्रम है जो उच्च प्राथमिक अथवा मिडिल स्कूल (कक्षा vi-viii), माध्यमिक स्तर (कक्षा ix-x), एवं उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा xi-xii), के लिए अध्यापक तैयार करता है।

2. अवधि तथा कार्य दिवस

2.1 अवधि :

बी.एड. कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्ष की अवधि का होगा, तथापि कोई अभ्यर्थी इस कार्यक्रम में प्रवेश से लेकर अधिकतम तीन वर्ष तक पूर्ण कर सकता है।

2.2 कार्यदिवस

- (क) प्रत्येक वर्ष कम से कम दो सौ (200) कार्य दिवस होंगे। इसमें प्रवेश तथा परीक्षाओं की अवधि सम्मिलित नहीं है।
- (ख) कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाएं प्रति सप्ताह कम से कम 36 घंटे (पांच या छः दिन) कार्य करेंगी जिस दौरान सभी अध्यापक तथा छात्र-अध्यापक को वास्तविक रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, ताकि आवश्यकतानुसार सलाह, निर्देशन तथा संवाद सुनिश्चित किया जा सके।
- (ग) सभी पाठ्यचर्यात्मक कार्य तथा प्रायोगिक कार्य के लिए छात्र-अध्यापकों के लिए न्यूनतम उपस्थिति 80% होगी तथा स्कूलबद्ध प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम उपस्थिति की सीमा 90% होगी।

3. दाखिला/क्षमता पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया, तथा शुल्क

3.1 दाखिला क्षमता

छात्रों की एक मूल इकाई में 50 विद्यार्थी होंगे तथा किसी संस्था में अधिकतम दो इकाइयों को प्रवेश दिया जा सकता है। एक विद्यालयी विषय और कार्यक्रम के अन्य प्रायोगिक क्रियाकलाप के लिए प्रति अध्यापक 25 से अधिक विद्यार्थी नहीं होंगे ताकि सहभागिता पूर्ण अध्यापन और अधिगम को सुकर बनाया जा सके।

3.2 पात्रता

- (क) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक डिग्री या/अथवा विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी, में कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इंजिनियरी, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, में 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ.बी.सी./पी.डब्ल्यू.डी और अन्य वर्गों के लिए स्थान आरक्षण तथा अकों में छूट केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों (जो भी लागू हो), के नियमों के अनुसार होगी।

3.4 शुल्क

कोई संस्थान समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (गैर-सहायता प्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्राचार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले संस्थान/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित फीस ही लेगा और छात्रों से किसी भी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लेगा।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

बी.एड. की पाठ्यचर्या का अभिकल्पन इस प्रकार होगा जिसमें विषय के ज्ञान, मानव विकास, शिक्षा-शास्त्रीय ज्ञान तथा संप्रेषण कौशलों का संघटन हो। इस कार्यक्रम में तीन मुख्य पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र सम्मिलित होंगे ये क्षेत्र हैं शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, पाठ्यचर्यात्मक तथा शिक्षा-शास्त्रीय अध्ययन, तथा क्षेत्र के साथ विनियोजन

इन पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रम मूल लेखों के सघन अध्ययन, संगोष्ठी/सत्र लेख प्रस्तुतीकरण, तथा क्षेत्र के साथ सतत विनियोजन पर आधारित होंगे। पाठ्यक्रमों के कार्य संपादन में विभिन्न दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा जैसे: मामला अध्ययन, विमर्शात्मक जर्नलों, बच्चों के प्रश्नों, तथा विविध सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेशों के समुदाय के साथ अन्योन्यक्रिया पर चर्चा सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी), लिंग, तथा योग शिक्षा एवं निःशक्तता/समावेशी शिक्षा बी.एड. पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग होगी।

(1) सैद्धांतिक पाठ्यक्रम

(क) शिक्षा के परिप्रेक्ष्य

शिक्षा के परिप्रेक्ष्यों के अन्तर्गत बाल्यावस्था अध्ययन, बाल विकास, तथा किशोरावस्था, समकालीन भारत व शिक्षा शिक्षा में दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, ज्ञान के सैद्धांतिक आधार तथा पाठ्यचर्या, अध्यापन और अधिगम, विद्यालय तथा समाज के संदर्भ में लिंग तथा समावेशी शिक्षा पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। बाल्यावस्था अध्ययन संबंधी पाठ्यक्रम छात्र-अध्यापक को भारतीय समाज और शिक्षा के साथ जोड़ने में समाजशास्त्रीय विश्लेषण के अवधारणात्मक साधनों और विविध समुदायों, बच्चों और विद्यालयों के साथ जुड़ने के प्रायोगिक अनुभवों की प्राप्ति में सक्षम बनाएगा। समकालीन भारत तथा शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम विविधता संबंधी मुद्दों, भारतीय समाज में असमानता तथा उपान्तिकीकरण और इनके शैक्षिक निहितार्थ तथा इनके साथ भारतीय शिक्षा में सार्थक नीतिगत विचार संबंधी विश्लेषणों के विषय में संप्रत्यात्मक समझ का विकास करेगा। ज्ञान और पाठ्यचर्या पर पाठ्यक्रम ऐतिहासिक, दार्शनिक तथा समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों की दृष्टि से विद्यालयी ज्ञान के सैद्धांतिक

आधारों पर प्रकाश डालेगा और इनके साथ-साथ पाठ्यचर्यात्मक उद्देश्यों और संदर्भ तथा पाठ्यचर्या, नीति और अधिगम में मध्य संबंध के विवेचनात्मक विश्लेषण को भी संबोधित करेगा। अध्यापन और अधिगम का पाठ्यक्रम सामाजिक तथा सांवेगिक विकास, आत्म तथा आत्म-परिचय, और संज्ञान तथा अधिगम के पक्षों पर बल देगा।

(ख) पाठ्यचर्या तथा शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन

पाठ्यचर्या तथा शिक्षा शास्त्रीय अध्ययनों के पाठ्यक्रम में भाषा संबंधी पक्ष सम्मिलित होंगे जो पाठ्यचर्या तथा संप्रेषण, विषय की समझ, विद्यालयी विषय का सामाजिक इतिहास तथा इसके शिक्षा शास्त्रीय आधारों पर लागू होगा और जिनका बल अध्येता पर होगा। इसके अतिरिक्त इसमें अधिगम के लिए मूल्यांकन के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य भी सम्मिलित होंगे।

पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत किसी विशेष अनुशासन के स्वरूप का अध्ययन, विद्यालयी पाठ्यचर्या का विवेचित ज्ञान; विद्यालयी पाठ्यचर्या की विवेचनात्मक समझ; अध्येता, अनुशासन और अधिगम का समाजीय संदर्भ, तथा छोटे बच्चों के अधिगम के विभिन्न पक्ष सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम का परिरूप ऐसा होगा कि विद्यार्थी विद्यालय के एक या दो स्तरों पर किसी एक अनुशासनात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर सके, जैसे, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, भाषाएं और उसी अनुशासन से एक विषय क्षेत्र/पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पाठ्यचर्या की समझ, विद्यालयी ज्ञान की समुदायिक जीवन से संबद्धता का विकास करना है। उपर्युक्त शिक्षा-शास्त्रीय प्रक्रियाओं और बच्चों के साथ सार्थक रूप से संप्रेषण के माध्यम से विषय के ज्ञान से अवधारणाओं की पुनरचना करने के लिए विभिन्न प्रकार की अन्वेषी परियोजनाएं सम्मिलित की जाएंगी।

(ii) क्षेत्र/प्रायोगिक क्रियाकलाप के साथ संबंध

बी.एड. कार्यक्रम स्वयं के साथ, बच्चे, समुदाय, और विभिन्न स्तरों पर विद्यालय के साथ एक दीर्घ कालीन व अखंड संबंध स्थापित करेगा, यह कार्य विभिन्न पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्रों में निकट संबंध स्थापित करके किया जाएगा। यह पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र (अर्थात् क्षेत्र व प्रयोगात्मक क्रियाकलाप) उपर्युक्त दो मुख्य पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करेगा जो इसके तीन घटकों के माध्यम से संपादित होगा। ये घटक हैं :

- ऐसे कार्य और प्रदत्त कार्य असाइनमेंट जो सभी पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हो।
- स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इन्टर्नशिप)
- व्यावसायिक क्षमताओं को संवर्धित करने वाले पाठ्यक्रम

"शिक्षा के परिप्रेक्ष्य" तथा "पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय अध्ययन" के पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र समुदाय, विद्यालय, तथा विद्यालयी बच्चों और विद्यालय से विरत बच्चों का विभिन्न कार्यों और परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के साथ संबंध स्थापित कर देंगे। ये कार्य और परियोजनाएं क्षेत्र आधारित अनुभवों के साथ एक अध्यापक-शिक्षा की कक्षा में विवेचित परिप्रेक्ष्यों और सैद्धांतिक ढांचों को प्रमाणित करने में सहायता करेंगी। इन कार्यों और परियोजनाओं में सतत और व्यापक मूल्यांकन संबंधी पद्धतियों का विकास करने, सेवारत विद्यालयी अध्यापकों का व्यावसायिक विकास करने, अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति इत्यादि के साथ संवाद करने के लिए सहयोगात्मक सहभागित्व सम्मिलित है। समुदाय आधारित परियुक्ति के अन्तर्गत समकालीन भारत और शिक्षा या सामाजिक विज्ञान/इतिहास के शिक्षा-शास्त्र के एक अंश के रूप में शिल्पकारों के साथ समुदाय उनके मौखिक इतिहास संबंधी परियोजनाएं आ सकती हैं। इसी प्रकार विज्ञान के शिक्षा-शास्त्रीय पाठ्यक्रम में ऐसी वातावरण आधारित परियोजनाएं आ सकती हैं जो एक विशेष गांव या समुदाय के सरोकारों या चिन्ताओं की ओर ध्यान देती हों।

छात्र-अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमताओं को संवर्धित करने के लिए अनेक विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए जा सकते हैं जैसे, भाषा और संप्रेषण संबंधी पाठ्यक्रम, नाटक तथा कला आत्म-विकास और आईसीटी। एक महत्वपूर्ण पाठ्यचर्यात्मक संसाधन के रूप में आईसीटी की विवेचित समझ पर एक पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया जा सकता है, जो एक अध्यापक की भूमिका को प्रमुखता प्रदान करेगा, डिजिटल संसाधनों के लोक स्वामित्व को सुनिश्चित करेगा और रचनावादी उपागमों को प्रोत्साहित करेगा जो मात्र आईसीटी की अभिगम्यता की बजाए प्रत्याशा तथा सहरचना को विशेषाधिकार प्रदान करेगा। ऐसे पाठ्यक्रमों का अभिकल्पन भी किया जाएगा जिन का बल एक अध्यापक के संवृत्तिक तथा आत्म-विकास पर हो और जिनमें सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक घटकों का समावेश हो तथा जिनका कार्य संपादन ऐसी संकेन्द्रित कार्यशालाओं के माध्यम से किया जाए जिनमें कला, संगीत और नाटक संबंधी घटक सम्मिलित हो।

ये पाठ्यक्रम ऐसे अवसर प्रदान करेंगे जिनसे आत्म पहचान, अन्तरवैयक्तिक संबंध, बच्चे और प्रौढ़ के मध्य अन्तरवैयक्तिक तथा सामाजिक संरचनाएं विद्यालय संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन के स्थल के रूप में योग शिक्षा को समझना और अभ्यास करना, सामाजिक संवेदनशीलता का विकास करना, सुनने और महत्त्व देने की क्षमता का विकास करना संबंधी मुद्दों पर अध्ययन सम्मिलित होगा।

(iii) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण इन्टर्नशिप

स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण इन्टर्नशिप का संबंध क्षेत्र के साथ परियुक्ति नामक मुख्य पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र के अंश के रूप में है और इस का अभिकल्पन परिप्रेक्ष्यों, व्यावसायिक क्षमता, अध्यापक प्रभावनीयताओं और कौशलों में एक व्यापक संग्रह के विकास की ओर अग्रसर करेगा। बी.एड. की पाठ्यचर्या अध्येताओं और विद्यालय जिसमें अधिगम

का सतत् और व्यापक मूल्यांकन भी सम्मिलित है, के साथ एक दीर्घकृत व अविच्छिन्न परियुक्ति प्रदान करेगी जिससे वर्ष भर आस पड़ोस के विद्यालयों के साथ सहक्रिया संभव होगी। ये क्रियाकलाप प्रथम वर्ष 4 (चार) सप्ताहों में आयोजित किए जाएंगे।

पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्रों को सक्रिय रूप से शिक्षण में प्रवृत्त किया जाएगा। उन्हें दो स्तरों पर प्रवृत्त किया जाएगा। अर्थात् उच्च प्राथमिक कक्षा (कक्षा VI-VIII) तथा माध्यमिक (कक्षा IX-X) अथवा उच्च माध्यमिक (कक्षा XI-XII) जिसमें कम से कम 16 सप्ताह माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए होंगे। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस दो वर्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में इंटर्नशिप कम से कम 20 सप्ताह की होगी (4 सप्ताह प्रथम वर्ष में और 16 सप्ताह, द्वितीय वर्ष में)। इसमें शिक्षण अभ्यास के अतिरिक्त एक सप्ताह की प्रारंभिक प्रावस्था होगी जिस अवधि में छात्राध्यापक सामान्य कक्षा के नियमित अध्यापक के अध्यापन का प्रेक्षण करेंगे। इसके अतिरिक्त अभ्यास पाठों का समकक्ष प्रेक्षण भी सम्मिलित होगा।

4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

इस व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक संस्था को निम्नलिखित अपेक्षाओं/स्थानबद्ध प्रशिक्षण को पूरा करना होगा।

- (क) स्थानबद्ध प्रशिक्षण इंटर्नशिप समेत सभी क्रियाकलाप का एक कैलेंडर तैयार करें। विद्यालयी तथा अन्य विद्यालय संपर्क कार्यक्रमों को विद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर के साथ समक्रमिक किया जाएगा।
- (ख) स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए तथा कार्यक्रम के अन्य विद्यालय आधारित क्रियाकलाप के लिए कम से कम दस (10) विद्यालयों की व्यवस्था करें। इस व्यवस्था के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य होगी। ये विद्यालय इस कार्यक्रम की अवधि में सभी प्रायोगिक क्रियाकलाप और संबंधित कार्य के लिए मूल संपर्क बिंदु के रूप में समझे जाएंगे।
- (ग) "शिक्षा के परिप्रेक्ष्यों" तथा "पाठ्यचर्या तथा शिक्षा-शास्त्रीय अध्ययन" संबंधी पाठ्यक्रमों का कार्य-संपादन करने में बहुल और बहुविध दृष्टिकोणों का उपयोग करना चाहिए, जैसे मामला अध्ययन, समस्या समाधान, विद्वत् गोष्ठी में विमर्शक जर्नलों पर चर्चा, बहुल सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणों में बच्चों का प्रेक्षण अंतरंग छात्राध्यापक विमर्शक दैनिकी तथा प्रेक्षण रिकार्ड बनाए रखेंगे जिनसे उन्हें विमर्शी चिंतन के अवसर प्राप्त होंगे।
- (घ) समय समय पर विद्यार्थियों तथा संकाय के लिए सेमिनार, वाद-विवाद, लेक्चर, तथा चर्चा समूहों का आयोजन कर शिक्षा में चर्चा का प्रारंभ करें।
- (ङ) मूल अनुशासनों के संकाय के साथ अन्योन्यक्रिया समेत शैक्षिक संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करें और संकाय सदस्यों को शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने और विशेषकर विद्यालयों में शोध कार्य करने के लिए प्रोत्सहित करें। विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में शोध/अध्यापन कार्य आरंभ करने संबंधी प्रावधान बनाए जाएंगे।
- (च) अध्यापक-शिक्षा संस्थाओं में छात्राध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने और विस्तार अतिथि लेक्चरर के तथा विद्वत सम्मेलन आयोजित करने हेतु विद्यालयी अध्यापकों को आमंत्रित किया जाएगा।
- (छ) विद्यार्थियों व अध्यापक वर्ग की शिकायतों की ओर ध्यान देने तथा उनका समाधान करने के लिए एक तंत्र तथा प्रावधान किए जाएंगे।
- (ज) विद्यालय स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए अध्यापक शिक्षा संस्थानों तथा संबद्ध विद्यालयों द्वारा छात्र-अध्यापकों को परामर्श देने, उनका पर्यवेक्षण करने, उन पर दृष्टि रखने और उनका आकलन करने के लिए एक परस्पर सम्मत प्रक्रिया स्थापित की जाएगी।

4.3 मूल्यांकन

"शिक्षा के परिप्रेक्ष्य" तथा "पाठ्यचर्या और शिक्षण-शास्त्रीय अध्ययन" के लिए कम से कम 20% से 30% तक अंक सतत् आन्तरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए जाने चाहिए तथा 70% से 80% तक अंक बाह्य परीक्षा के लिए कुल अकों या भारिता का एक चौथाई भाग शिक्षण अभ्यास के लिए निर्धारित किया जाएगा। आन्तरिक और बाह्य परीक्षाओं की भारिता संबद्धकारी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। "क्षेत्र के साथ परियुक्ति" के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर विद्यार्थियों का आन्तरिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न केवल उस परियोजना/क्षेत्र कार्य पर जो उन्हें उन की इकाइयों के अध्ययन के एक भाग के रूप में दिया गया है। मूल्यांकन और उसके लिए प्रयुक्त निकष विद्यार्थियों के लिए पारदर्शी होने चाहिए ताकि व्यावसायिक प्रतिपुष्टि से वे अधिकतम रूप में लाभान्वित हो सकें। व्यावसायिक प्रतिपुष्टि के एक अंश के रूप में विद्यार्थियों को उनके अकों या ग्रेडों की सूचना दी जाती रहेगी ताकि उन्हें अपने निष्पादन में सुधार लाने का अवसर मिलता रहे। आन्तरिक मूल्यांकन के आधारों में व्यक्तिगत अथवा समूह प्रदत्त कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, डायरियां, दैनिकी इत्यादि सम्मिलित हो सकती हैं।

5. स्टाफ

5.1 शैक्षणिक संकाय

50-50 विद्यार्थियों की दो मूल इकाइयों की भर्ती के लिए, कुल 16 पूर्ण कालिक संकाय सदस्य होंगे। विभिन्न पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्रों के लिए संकाय का बंटन निम्नलिखित प्रकार से होगा:

1	प्रिंसीपल/विभागाध्यक्ष	एक
2	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य	चार
3	शिक्षण विषय (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा भाषा)	आठ
4	स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा	एक
5	ललित कलाएं	एक
6	निष्पादन कलाएं (संगीत/नृत्य/रंगमंच)	एक

नोट (i) विभिन्न विषय वर्गों के अन्तर्गत सूचीबद्ध अध्यापक वर्ग अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में निर्धारित पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्रों में से किसी भी अन्य पाठ्यक्रम को पढ़ा सकता है और इस प्रकार आधारित व शिक्षण शास्त्रीय पाठ्यक्रमों दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों में अपना योगदान दे सकता है यदि दो वर्षों के लिए विद्यार्थियों की संख्या 100 है (अर्थात् एक मूल इकाई), तो

(ii) अध्यापक वर्ग का उपयोग एक लचीले ढंग से किया जा सकता है ताकि उपलब्ध शैक्षणिक विशेषज्ञता का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

5.2 अर्हताएं

संकाय की अर्हताएं निम्नलिखित रूप में होंगी।

ए. प्रिंसीपल/विभागाध्यक्ष

(i) कला/विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी/तृणज्य में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री, (ii) एम.एड., कम से कम 55% अंकों के साथ

(iii) शिक्षा में अथवा किसी शिक्षा शास्त्रीय विषय में जो उस संस्था में पढ़ाया जाता है, पी.एच.डी.

(iv) किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्था में न्यूनतम 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव

वांछनीय : शैक्षिक प्रशासन या शैक्षिक नेतृत्व में डिग्री/डिप्लोमा

बी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य या आधारिक पाठ्यक्रम

(i) सामाजिक विज्ञान से संबंधी किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री जिस में कम से कम 55% अंक होने चाहिए तथा

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एड. डिग्री जिसमें कम से कम 55% अंक हों

(ग) पाठ्यचर्या तथा शिक्षण-शास्त्रीय पाठ्यक्रम

(i) विज्ञान/गणित/सामाजिक विज्ञान/भाषाओं में से किसी एक कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री

(ii) 55% अंकों के साथ एम.एड. डिग्री

वांछनीय : विषय विशेषज्ञता के साथ शिक्षा में पी.एच.डी. डिग्री

नोट : उपर्युक्त ख और ग को एक साथ मिला कर, दो संकाय पदों के लिए समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, या दर्शनशास्त्र में कम से कम 55% अंकों के साथ एक स्नातकोत्तर डिग्री तथा किसी माध्यमिक विद्यालय में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव विचारणीय होगा।

(घ) विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम

शारीरिक शिक्षा

(i) शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एमपीएड) जिसमें कम से कम 55% अंकों हों (योग शिक्षा में प्रशिक्षण/अर्हता वांछनीय समझी जाएगी)

दृश्य कलाएं

(i) ललित कलाओं में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (एमएफए)

निष्पादन कलाएं

55% अंकों के साथ, संगीत, नृत्य या रंगमंच में स्नातकोत्तर डिग्री

5.3 प्रशासनिक तथा व्यावसायिक स्टाफ

(क)	पुस्तकालय दृश्य (बी.लिब के साथ-55% अंक)	एक
(ख)	प्रयोगशाला सहायक (55% अंकों सहित बी.सी.ए)	एक
(ग)	कार्यालय एवं लेखा सहायक	एक
(घ)	कार्यालय सहायक एवं कम्प्यूटर प्रचालक	एक
(ङ)	स्टोर कीपर	एक
(च)	तकनीकी सहायक	एक
(छ)	प्रयोगशाला अटैण्डेंट/हैल्पर/सहयोगी स्टाफ	दो

अर्हताएँ : जैसाकि संबंधित राज्य सरकार/यूटी प्रबंधन द्वारा निर्धारित

नोट : किसी संयुक्त संस्था में, प्रिंसिपल तथा प्रशासनिक तथा तकनीकी स्टाफ साझा हो सकता है। ऐसी अवस्था में एक प्रिंसिपल होगा और विभाग प्रभारियों को विभागाध्यक्ष कहा जाएगा।

5.4 सेवा की शर्तें और उपबंध

अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ की सेवा की शर्तें और उपबंध जिनमें चयन की प्रक्रिया वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु और अन्य लाभ भी शामिल है, राज्य सरकार/संबद्ध निकाय की नीति के अनुसार होंगी।

6 सुविधाएँ**6.1 आधारिक सुविधाएँ**

- (i) प्रारंभिक 50 विद्यार्थियों की भर्ती के लिए संस्था के पास उसकी अपनी कम से कम 2500 वर्ग मीटर (दो हजार पांच सौ) भूमि होनी चाहिए जो भली भांति सीमांकित हो, और जिसमें से 1500 वर्ग मीटर (एक हजार पांच सौ वर्ग मीटर) निर्मित क्षेत्र हो तथा शेष भूमि लॉन, खेल के मैदान इत्यादि के लिए हो। अतिरिक्त पचास विद्यार्थियों की भर्ती के लिए संस्थान के पास 500 वर्ग मीटर भूमि और होनी चाहिए। दो सौ से अधिक और तीन सौ विद्यार्थियों की वार्षिक भर्ती के लिए संस्थान के पास अपनी 3500 वर्ग मीटर (तीन हजार पांच सौ वर्ग मीटर) भूमि होनी चाहिए। इस अधिनियम की स्थापना से पूर्व स्थापित संस्थाओं के पास एक सौ विद्यार्थियों की अतिरिक्त भर्ती के लिए निर्मित क्षेत्र 500 वर्गमीटर अधिक बढ़ा दिया जाना चाहिए। इन संस्थाओं के लिए अतिरिक्त भूमि की शर्त लागू नहीं होगी।

- (ii) बी.एड. के साथ अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार से होगा

पाठ्यक्रम	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	भूमि क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. जिसमें बी.एड. शिक्षा घटक हो	1500	2500
डी.ई.सी.एड+बी.एड.	2500	3000
डी.एल.एड.+बी.एड.	3000	3000
बी.एड.+एम.एड.	2000	3000
डी.ई.सी.एड+बी.एड.+एम.एड.	3000	3500
डी.एल.एड.+बी.एड.+एम.एड.	3500	3500
डी.ई.एड+डी.ई.सी.एड+बी.एड.+एम.एड.	4000	4000

नोट 1 बी.एड. की एक इकाई की अतिरिक्त भर्ती के लिए अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र 500 (पांच सौ वर्ग मीटर) वर्ग मीटर होगा

- (iii) संस्था के पास निम्नलिखित आधारिक सुविधाएँ अवश्य होनी चाहिए (प्रत्येक मद पी डब्ल्यू डी के लिए सुकरीकृत हो)

- प्रत्येक 50 विद्यार्थियों के लिए एक कक्षा कक्ष
- एक बहु प्रयोजन हॉल जिसमें दो सौ विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता और एक डायस भी हो (2000 वर्ग फुट)
- पुस्तकालय+वाचनालय कक्ष
- सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आइसीटी) संसाधन केंद्र
- पाठ्यचर्या प्रयोगशाला
- कला और शिल्प संसाधन केंद्र
- स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संसाधन केंद्र (योग शिक्षा समेत)
- प्रिंसिपल कार्यालय
- स्टाफ कक्ष

- (अ) प्रशासनिक कार्यालय
- (ट) आगंतुक कक्ष
- (ठ) पुरुष और महिला विद्यार्थियों के अलग अलग कॉमन कक्ष
- (ड) सेमिनार कक्ष
- (ढ) कैंटीन
- (ण) पुरुष और महिलाओं विद्यार्थियों के लिए, स्टाफ, तथा पीडब्लूडी के लिए अलग अलग प्रसाधन सुविधाएं
- (त) पार्किंग स्थल
- (थ) स्टोर कक्ष (दो)
- (द) बहु-प्रयोजन क्रीड़ा स्थल
- (ध) अतिरिक्त आवास के लिए खुली जगह

(iv) संस्था में खेल के मैदान के साथ साथ खेलने संबंधी सुविधाएं होंगी। जहाँ पर स्थानाभाव है : (जैसे किसी महानगर में/पहाड़ी क्षेत्रों में) योग के लिए, स्मार्ट कोर्ट तथा इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए।

(v) भवन के सभी भागों में अग्नि आपद के लिए सुरक्षा प्रबंध होने चाहिए

(vi) संस्था के परिसर, भवन, फर्नीचर इत्यादि बाधा रहित होने चाहिए

(vii) पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग छात्रवास सुविधाएं तथा कुछ आवासीय निवास स्थान वांछनीय होंगे

6.2 अनुदेशात्मक

(क) संस्था में प्रशिक्षणार्थियों के क्षेत्र-कार्य तथा शिक्षण अभ्यास संबंधी क्रियाकलाप के लिए समुचित दूरी के भीतर पर्याप्त संख्या में मान्यता प्राप्त माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुलभ होने चाहिए। संस्थान उन विद्यालयों से इस आशय का लिखित आश्वासन प्रस्तुत करेगा कि वे शिक्षण-अभ्यास के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। राज्य का शिक्षा निदेशालय विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए विद्यालय निर्धारित करेगा जिस विद्यालय की विद्यार्थी संख्या 1000 तक होगी उसके साथ 10 से अधिक छात्राध्यापक तथा जिसकी विद्यार्थी संख्या 2000 तक होगी उसके साथ 20 से अधिक छात्राध्यापक नहीं लगाए जाएंगे। यह अपेक्षित होगा यदि किसी संस्थान के साथ एक उसका अपना संबद्ध विद्यालय भी हो।

(ख) कम से कम पचास प्रतिशत विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा सहित एक ऐसा पुस्तकालय एवं वाचनालय होगा जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए एक हजार पुस्तक-शीर्षक हों और ऐसी शीर्षकों की 3000 पुस्तकें हो। इनमें पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोष, शब्दकोष, इलैक्ट्रॉनिक प्रकाशन (सी.डी.रोम), ऑन लाइन संसाधन, तथा कम से कम शिक्षा पर पांच रैफ़ीड जर्नल तथा संबद्ध विषयों पर पांच अन्य पत्रिकाएं मंगाई जाएंगी। पुस्तकालय के संग्रह में प्रतिवर्ष 200 शीर्षक जोड़े जाएंगे जिसमें पुस्तकें और पत्रिकाएं दोनों सम्मिलित हैं। पुस्तकालय के अन्दर फोटोकॉपी करने की सुविधा होगी तथा इंटरनेट युक्त कंप्यूटर होगा ताकि संकाय तथा विद्यार्थी दोनों इसका प्रयोग कर सकें। पाठ्य पुस्तकों तथा संदर्भ ग्रंथों के अतिरिक्त प्रत्येक शीर्षक की तीन से अधिक प्रतियां नही होंगी।

(ग) एक पाठ्यचर्या प्रयोगशाला होगी जिसमें विद्यालयी पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सामग्री और अन्य संसाधन होंगे।

(घ) सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी सुविधाएं होंगी जिसमें कंप्यूटर, टीवी, कैमरा, आइसीटी उपकरण जैसे आर ओ टी, (रिसीव ऑनली टर्मिनल), एसआईटी (सैटेलाइट इन्टरलिंगिंग टर्मिनल) इत्यादि सम्मिलित होंगे।

(ङ) कला और कार्यानुभव के लिए एक पूर्णरूप से सुसज्जित अध्यापन-अधिगम संसाधन केंद्र होगा।

(च) भीतरी और बाह्य खेलों के लिए खेल और क्रीड़ा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

(छ) सामान्य संगीत उपकरण जैसे हार्मोनियम, तबला, मंजीरा तथा अन्य देशी उपकरण होंगे।

6.3 अन्य सुविधाएं

(क) शैक्षणिक और अन्य कार्यों के लिए समुचित मात्रा में कार्यात्मक तथा उपयुक्त फर्नीचर

(ख) वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था

(ग) संस्थान के अन्दर सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था

(घ) परिसर जल तथा जन-सुविधाओं की नियमित सफाई, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा बदलाई

नोट : संयुक्त समेकित संस्थाओं के लिए आधारीक, शैक्षणिक तथा अन्य सुविधाएं सभी कार्यक्रमों के सांझी होंगी।

7. प्रबंधन समिति

संबंधनकारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के नियमानुसार गठित प्रत्येक संस्था की एक प्रबंधन समिति होगी। यदि इस प्रकार के कोई नियम नहीं है तो संस्था प्रबंधन समिति का गठन अपने आप करेगी। इस समिति में संबंधित सोसाइटी/ट्रस्ट के प्रतिनिधि, कुछ शिक्षाविद् अध्यापक-शिक्षक, संबंधन विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, तथा अध्यापक वर्ग के प्रतिनिधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे।

परिशिष्ट-5

शिक्षा में मास्टर(एम.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

शिक्षा (एम.एड) कार्यक्रम शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में द्विवर्षीय व्यावसायिक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य शिक्षक प्रशिक्षकों और अन्य शिक्षा-व्यवसायियों को तैयार करना है जिसमें पाठ्यचर्या निर्माता, शिक्षा-नीति विश्लेषक, योजनाकार, प्रशासक, पर्यवेक्षक, विद्यालय-प्राचार्य और शोधार्थी आते हैं। कार्यक्रम के समापन पर प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा VIII तक) या माध्यमिक शिक्षा (कक्षा VI से XII) में विशेषज्ञता के साथ शिक्षा एम.एड की उपाधि प्रदान की जाएगी।

2. आवेदन के लिए पात्र संस्थाएं

(i) न्यूनतम पांच शैक्षणिक वर्षों के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले ऐसे संस्थान जो किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो और नैक या किसी राअशिप द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन के लिए आवेदन किया हो।

(ii) विश्वविद्यालयों के शिक्षा-विभाग

3. अवधि एवं कार्य दिवस

3.1 अवधि

शिक्षा एम.एड कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 4 सप्ताह के क्षेत्रीय कार्य तथा लघु शोध पत्र समेत दो शैक्षणिक वर्षों की होगी। विद्यार्थियों को इस द्विवर्षीय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कार्यक्रम में दाखिले की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर पूरा कर लेने की अनुमति होगी। क्षेत्रीय कार्य/प्रायोगिक परीक्षा/अन्य गतिविधियां ग्रीष्म ऋतु में करायी जानी चाहिए।

3.2 कार्य-दिवस

प्रवेश की अवधि को छोड़कर तथा कक्षा संचालन प्रायोगिक कार्य परीक्षा, क्षेत्रीय अध्ययन एवं परीक्षा के आयोजन समेत प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो सौ कार्यदिवस होंगे। संस्थान सप्ताह (पाँच या छः दिन) में न्यूनतम 36 घंटे कार्य करेगा। इस दौरान कार्यक्रम से सम्बद्ध अध्यापक एवं विद्यार्थी अंतःक्रिया, संवाद, परामर्श एवं मार्ग दर्शन के लिए विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होंगे।

सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम और प्रायोगिक कार्य के लिए 80% तथा क्षेत्रीय कार्य के लिए 90% न्यूनतम उपस्थिति होगी।

4. दाखिला क्षमता, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और फीस

4.1 प्रवेश

इस कार्यक्रम की मूल इकाई में 50 विद्यार्थी होंगे। प्रत्येक संस्थान को केवल एक इकाई रखने की अनुमति होगी। अतिरिक्त इकाई की अनुमति केवल बुनियादी सुविधाओं, अध्यापकों तथा अन्य संसाधनों की गुणवत्ता के आधार पर दी जाएगी। साथ ही संस्थान ने तीन वर्षों तक यह कार्यक्रम चलाया हो और उसे नैक अथवा राअशिप द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्यायन अभिकरण द्वारा न्यूनतम बी+ ग्रेड दिया गया हो।

4.1.1 पात्रता

(ए) बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित कार्यक्रमों में कम से कम 50 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होने चाहिए—

(i) बी.एड

(ii) बी.ए.बी.एड, बी.एससी.बी.एड

(iii) बी.एल.एड

(iv) अवर स्नातक उपाधि के साथ डी.एल.एड. (प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक)

(बी) अजा/अजजा/अपिव/विकलांग तथा अन्य उपयुक्त श्रेणियों के लिए आरक्षण एवं छूट केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, जो भी प्रयोज्य हो, के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

4.3 प्रवेश प्रक्रिया

कार्यक्रम में प्रवेश अर्ह परीक्षा और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन की नीतियों के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया द्वारा दिया जाएगा।

4.4. फीस

संस्थान केवल वही फीस लेगा जो राअशिप (गैर-सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों के विनियमों के लिए दिशानिर्देश) विनियम 2002 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप सम्बद्ध राज्य/संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो। संस्थान विद्यार्थियों से चंदा, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

5. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम का कार्यान्वयन और मूल्यांकन

5.1 पाठ्यचर्या

एम.एड. कार्यक्रम का निर्माण/रूपांकन विद्यार्थियों को अपने ज्ञान के विस्तार के साथ ही उसे और भी गहरा करने एवं शिक्षा को भलीभांति समझने, निश्चित क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने तथा शोध-क्षमता विकसित करने, जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा में विशेषज्ञता मिलती है, का अवसर उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। द्विवर्षीय एम.एड. कार्यक्रम की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे: 1) सांझा पाठ्यक्रम जिसमें

परिप्रेक्ष्य पाठ्यक्रम, दूर पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम तथा एक आत्म-विकास अवयव होगा; 2) विशेषज्ञता शाखाएं जहां विद्यार्थी विद्यालयी स्तरों/क्षेत्रों (जैसे: प्रारंभिक या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक) में से किसी एक का चुनाव करें; 3) लघु शोध प्रबंध के लिए शोध; 4) क्षेत्रीय कार्य/प्रशिक्षुता। प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा में आधारभूत पाठ्यक्रम (जिनका क्रेडिट लगभग 60% होगा) और विशेषज्ञता पाठ्यक्रम होंगे तथा लघु प्रबंध के लगभग 40% क्रेडिट होंगे।

(ए) सैद्धान्तिक (कोर) पाठ्यक्रम

सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम कोर पाठ्यक्रमों और विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों में विभाजित है। मुख्य आधारभूत पाठ्यक्रमों में परिप्रेक्ष्य, दूर पाठ्यक्रम और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे।

परिप्रेक्ष्य पाठ्यक्रम इन क्षेत्रों में शामिल होंगे: शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का समाजशास्त्र, इतिहास-राजनीतिक अर्थशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा अध्ययन तथा पाठ्यचर्या अध्ययन। दूर पाठ्यक्रम में बुनियादी और उन्नत स्तरीय शिक्षा शोध, शैक्षिक/पेशेवर लेखन और सम्प्रेषण कौशल तथा शैक्षिक तकनीक समेत आईसीटी में कार्यशालाएं/पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम (जो किसी शिक्षक शिक्षा संस्थान में क्षेत्रीय स्थानबद्ध प्रशिक्षण/प्रशिक्षुता सहयोजन के साथ से भी जुड़े होंगे) भी कोर पाठ्यक्रम में शामिल होंगे।

विशेषज्ञता घटक/शाखाएं विद्यार्थियों को विद्यालय स्तरों में से किसी एक - प्रारंभिक शिक्षा (VIII तक), या माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक (VIII से XII) में विशेषज्ञता प्रदान करेंगी। विद्यालय स्तर विशेषज्ञताओं में शामिल पाठ्यक्रम उस स्तर के संगत निश्चित विषयगत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व/को शामिल करेगा जैसे: पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन; नीति; अर्थशास्त्र और योजना; शिक्षा प्रबंधन एवं प्रशासन; विद्यार्थियों की शिक्षा; इत्यादि। अन्य विशेषज्ञताओं की भी व्यवस्था की जा सकती है। विशेषज्ञता के क्षेत्र के संदर्भ में प्रासंगिक क्षेत्रीय स्थानबद्ध प्रशिक्षण/सहयोजन कार्यक्रम के दौरान का आयोजन किया जाएगा।

लिंग, विक्लांगता और हाशियाकरण पर आलोचनात्मक चिंतन कोर और विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों का हिस्सा होगा। उसी प्रकार सीआईटी से सम्बद्ध कौशल और शैक्षिक तकनीक को भी कार्यक्रम के विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। इसके इतर, योग शिक्षा पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग होगी।

(बी) प्रायोगिक कार्य

विद्यार्थियों के व्यावसायिक कौशल और समझ में बढ़ोतरी के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, प्रायोगिक गतिविधियां और संगोष्ठियां पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों के शिक्षण-प्रविधि का हिस्सा होंगी।

(सी) स्थानबद्ध प्रशिक्षण और सम्बद्धता

क्षेत्रीय सहयोजन/स्थानबद्ध प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों एवं संस्थाओं की मदद से की जाएगी। इनका लक्ष्य विद्यार्थियों को क्षेत्र-आधारित परिस्थितियों से जोड़ना तथा शिक्षा के प्रारंभिक एवं अन्य स्तरों पर कार्य करना तथा इन पर चिंतन और लेखन का अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी द्वारा चयनित विशेषज्ञता क्षेत्र में किसी शिक्षक शिक्षा संस्थान में सुव्यवस्थित क्षेत्रीय स्थानबद्ध प्रशिक्षण/प्रशिक्षुता का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में अनुशिक्षण कक्षाओं, निर्देशित पठन समूह, क्षेत्रीय कार्य, तथा निर्देशित लघु शोध प्रबंध के रूप में प्रासंगिक क्षेत्रों में संकाय द्वारा गहन परामर्श दिया जाना चाहिए।

5.2. कार्यक्रम का कार्यान्वयन

संस्थान को इस व्यावसायिक कार्यक्रम (एम.एड.) की निम्नलिखित विशिष्ट मांगों को पूरा करना होगा--

- (i) स्थानबद्ध प्रशिक्षण और क्षेत्रीय कार्य समेत सभी गतिविधियों के लिए एक कैलेंडर तैयार करना। एम.एड. कार्यक्रम का कैलेंडर स्थानबद्ध प्रशिक्षण और क्षेत्रीय कार्य के लिए अभिनिर्धारित संस्थानों के शैक्षिक कैलेंडर के समकालिक होगा।

- (ii) लघु शोध प्रबंध जो कि प्राथमिक क्षेत्रीय आंकड़ों या द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित हो अथवा एक आलेख जिसमें स्वीकृत विषय पर एक विस्तृत विचारशील और आलोचनात्मक निबंध शामिल हो, का प्रस्तुतीकरण अनिवार्य होगा।
- (iii) लघु शोध प्रबंध के संचालन के लिए, दिशानिर्देश और परामर्श के लिए छात्रों के प्रति संकाय का अनुपात 1:5 होगा।
- (iv) एम.एड. के विद्यार्थियों को व्यवस्थित रूप से शैक्षिक स्थलों/क्षेत्रों से कम से कम चार सप्ताह के लिए जोड़ा जाएगा, जिस पर वे एक विचारशील प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। सुझाए गए स्थल/क्षेत्र निम्नलिखित हैं—
 - (क) व्यावसायिक सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम
 - (ख) एक संगठन जो अभिनव पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों के विकास में संलग्न हो।
 - (ग) पाठ्यचर्या निर्माण; पाठ्यपुस्तक के विकास; शिक्षा नीति की योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन; शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन से जुड़ा कोई अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य संस्थान।
 - (घ) सेवारत विद्यालयी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- (v) संस्थान समय-समय पर संगोष्ठियों, वाद-विवाद, व्याख्यानो के आयोजन तथा विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए परिचर्चा समूह के गठन द्वारा शिक्षा में संवाद को बढ़ावा देंगे। साप्ताहिक शोध परिचर्चा/संगोष्ठी में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।
- (vi) संस्थान में विद्यार्थियों और अध्यापकों की शिकायतों की ओर ध्यान देने तथा विवादों के निपटारे के लिए तंत्र और प्रावधान होंगे।
- (vii) ऐसे स्थानों पर जहां पाठ्यक्रम से वस्तुतः सम्बद्ध संकाय के अलावा अन्य संकाय को संस्थान के कार्य में सहयोजित किया जाएगा, तंत्र तैयार किए जाने होंगे।

5.3 मूल्यांकन

प्रत्येक सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के लिए, कम से कम 30% भारांक सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए तथा 70% भारांक परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए होंगे। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक पाठ्यक्रम दोनों) के लिए भारांक उपर्युक्त सूत्र के आधार पर संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वैयक्तिक/सामूहिक समनुदेशन, संगोष्ठी में प्रस्तुति, क्षेत्रीय कार्य की मूल्यांकन रिपोर्टें आदि आंतरिक मूल्यांकन का आधार हो सकते हैं। कुल अंकों/क्रेडिटों/भारांकों का एक-चौथाई, प्रायोगिकी, स्थानबद्ध प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्य और लघु शोध प्रबंध के लिए होगा।

6. स्टाफ

6.1 अध्यापक

प्रति इकाई 50 विद्यार्थियों के प्रवेश पर, द्विवर्षीय कार्यक्रम में 100 विद्यार्थियों के लिए संकाय-विद्यार्थी अनुपात 1:10 होगा। संकाय के पद पर निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत होंगे—

- 1. प्रोफेसर दो
- 2. सह प्रोफेसर दो
- 3. सहायक प्रोफेसर छः

अध्यापकों की नियुक्ति पाठ्यचर्या में प्रदत्त सभी आधारभूत और विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए की जाएगी। एम.एड. कार्यक्रम चलाने वाले किसी महाविद्यालय का प्राचार्य प्रोफेसर के पद और वेतनमान पर होगा।

6.2 अर्हता

ए. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष

- (i) संबंधित अनुशासन में स्नातकोत्तर उपाधि
- (ii) न्यूनतम 55% अंको के साथ एम.एड.
- (iii) शिक्षा में पीएच.डी
- (iv) शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में दस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव

बी. प्रोफेसर एवं सह प्रोफेसर

- (i) विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रासंगिक अनुशासन में न्यूनतम 55% के साथ स्नातकोत्तर उपाधि
- (ii) न्यूनतम 55% अंको के साथ शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एड./शिक्षा में एम.ए)।

- (iii) शिक्षा या विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रासंगिक विषय क्षेत्र में पीएच.डी की उपाधि।
 - (iv) यूजीसी द्वारा निर्धारित कोई अन्य योग्यता जैसे नेट परीक्षा या प्रोफेसर तथा असोसिएट प्रोफेसर पद के लिए यूजीसी या राज्य सरकार के मानकों के अनुसार व्यावसायिक शिक्षण अनुभव।
 - (सी) सहायक प्रोफेसर
 - (i) विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रासंगिक विषय क्षेत्र में न्यूनतम 55% अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।
 - (ii) न्यूनतम 55% अंको के साथ शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एड./शिक्षा में एम. ए)
 - (iii) यूजीसी द्वारा निर्धारित कोई अन्य अर्हता जैसे नेट परीक्षा।
- (टिप्पणी: संकाय की सेवाओं का प्रयोग नमनशील तरीके से पढ़ाने के लिए किया जा सकता है जिससे कि उपलब्ध शैक्षणिक विशेषज्ञता इष्टतम की जा सके।)

6.3 प्रशासनिक एवं व्यावसायिक सहयोग सहायता स्टाफ

(ए) निम्नलिखित प्रशासनिक स्टाफ उपलब्ध कराए जाएंगे:

(i) कार्यालय प्रबंधक	एक
(ii) आईटी कार्यकारी/अनुरक्षण स्टाफ	एक
(iii) पुस्तकालय सहायक/संसाधन केन्द्र समन्वयक	एक
(iv) कार्यालय सहायक	दो
(v) सहायक	एक

(बी) विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागों में प्रशासनिक स्टाफ की तैनाती विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार होगी।

6.4 सेवा के नियम एवं शर्तें

चयन प्रक्रिया, वेतन मान, सेवानिवृत्ति की आयु और अन्य भत्तों समेत शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ की सेवा के नियम एवं शर्तें राज्य सरकार/सम्बद्ध निकाय की नीति के अनुसार होगी।

7. सुविधाएं

7.1 बुनियादी सुविधाएं

एक संस्थान जो पहले ही एक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चला रहा है और एम.एड. के लिए एक आधार इकाई का प्रस्ताव रखता है तो उसके पास कम से कम 3000 वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए। निर्मित क्षेत्र 2000 वर्ग मीटर का होगा। एक आधार इकाई के अतिरिक्त प्रवेश के लिए न्यूनतम अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र 500 वर्गमीटर होगा।

(क) क्लास रूम

50 विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए कम से कम दो क्लास रूमों का प्रावधान होगा जिसमें सभी विद्यार्थियों के बैठने के लिए स्थान और फर्नीचर होंगे। कक्षा का न्यूनतम आकार 50 वर्गमीटर होगा। संस्थान में अनुशिक्षण कक्षाओं तथा सामूहिक चर्चाओं के आयोजन के लिए 30 वर्गमीटर के कम से कम तीन कमरे होंगे।

(ख) संगोष्ठी कक्ष

संस्थान में बहुउद्देशीय हॉल होगा। इसके अतिरिक्त संस्थान में एक संगोष्ठी कक्ष होगा जिसमें 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और उसका क्षेत्र कम से कम 100 वर्गमीटर होगा। यह हॉल संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए पूर्णतया सुसज्जित होगा।

(ग) संकाय कक्ष

प्रत्येक अध्यापक के लिए एक अलग केबिन होगा जिसमें एक कार्यरत कम्प्यूटर तथा भंडारण स्थान होगा।

(घ) प्रशासनिक कार्यालय के लिए स्थान

संस्थान कार्यालयी स्टाफ के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराएगा, जिसमें फर्नीचर, भंडारण स्थान एवं कम्प्यूटर की सुविधा होगी।

(ड.) कामन रूम

संस्थान कम से कम दो पृथक कामन रूम होंगे, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए।

7.2 उपकरण एवं सामग्री

(ए) लाइब्रेरी

संस्थान/विश्वविद्यालय का पुस्तकालय सांझा होगा तथा कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। उसमें एम.एड. कार्यक्रम के लिए कम से कम 1000 पुस्तकें (प्रासंगिक पाठ्यपुस्तकों की कई प्रतियां) होंगी, जिसमें सभी पाठ्यक्रमों से संबंधित संदर्भ पुस्तकें, लेख एवं एम.एड. कार्यक्रम में नियोजित उपागमों संबंधी साहित्य, शैक्षणिक विश्वकोश, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन (सीडी-रोम) जिसमें ऑनलाइन संसाधन तथा कम से कम पाँच शोध-पत्रिकाएं जिनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हो, होंगी। पुस्तकालय के संसाधनों में राशिप, एनसीईआरटी तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें एवं शोध-पत्रिकाएं होंगी। पुस्तकालय में पढ़ने के स्थान तथा संदर्भ खंड की भी व्यवस्था होगी। प्रत्येक वर्ष कम से कम 100 अच्छी पुस्तकें पुस्तकालय में मंगाई जाएंगी। पुस्तकालय में अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए फोटोकॉपी की सुविधा तथा इन्टरनेट की व्यवस्था होगी।

(बी) संसाधन केन्द्र

एक विशेष संसाधन केन्द्र संसाधन केन्द्र सह विभागीय पुस्तकालय के रूप में कार्य करेगा। यह केन्द्र विभिन्न प्रकार के संसाधन तथा सामग्री उपलब्ध कराएगा जिससे शिक्षण-अधिगम की गतिविधियों का रूपांकन एवं चयन किया जा सकेगा। साथ ही प्रासंगिक पाठ, नीति दस्तावेजों की प्रतियाँ और आयोगों के प्रतिवेदन; प्रासंगिक पाठ्यचर्या दस्तावेज जैसे एनसीएफ, एनसीएफटीई, शोध प्रतिवेदन, सर्वेक्षणों (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय) के प्रतिवेदन, जिला एवं राज्य स्तरीय आँकड़े; अध्यापकों की पुस्तकें; पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ; क्षेत्रीय प्रतिवेदन तथा शोध-संगोष्ठियों के प्रतिवेदन, श्रव्य-दृश्य उपकरण - टी.वी., डीवीडी प्लेयर, एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्में (वृत्तचित्र, बाल फिल्में, सामाजिक सरोकारों/मुद्दों से जुड़ी रिकार्डिंग यंत्र; तथा ऐच्छिक रूप से आरओटी (आरओटी) (सैटेलाइट रिसीव ऑनली टर्मिनल) एवं (एसआईटी) (सैटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनल) भी उपलब्ध कराएगा।

टिप्पणी: 7.1 एवं 7.2 में वर्णित उपर्युक्त सुविधाएँ संस्थान द्वारा चलाए जा रहे अन्य शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को पहले से दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त होगी।

7.3 अन्य सुविधाएँ

- (ए) निर्देशन एवं अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक संख्या में सुचारु एवं समुचित प्रयोगशालाएँ एवं फर्नीचर।
- (बी) वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था।
- (सी) संस्थान में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।
- (डी) परिसर, जल संसाधनों, शौचालयों (पुरुष, महिला एवं अध्यापक के लिए पृथक) की प्रतिदिन साफ-सफाई की प्रभावी व्यवस्था, फर्नीचर के रख-रखाव और अन्य उपकरणों की मरम्मत आदि की व्यवस्था।

(टिप्पणी): यदि शिक्षक शिक्षा के एक से अधिक कार्यक्रम एक ही संस्थान द्वारा एक ही परिसर में चलाए जा रहे हों तो खेल परिसर, बहुउद्देशीय हॉल, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि के साथ) आदि में हिस्सेदारी की जा सकती है। संस्थान में एक प्राचार्य होगा तथा विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के अध्यक्ष होंगे।

8. प्रबंधन समिति

संस्थान में एक प्रबंधन समिति होगी, जिसमें बारी बारी से प्रायोजक सभा/प्रबंधक सभा/न्यास के सदस्य, दो शिक्षाविद, प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा विशेषज्ञ, एक संकाय सदस्य क्षेत्रीय कार्य के लिए चयनित दो संस्थानों के प्रमुख होंगे।

परिशिष्ट-6

शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के लिए मानदण्ड और मानक

1. प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) कार्यक्रम स्कूल शिक्षा के प्रारम्भिक चरण के लिए कक्षा (कक्षा I-VIII) शारीरिक शिक्षा शिक्षक तैयार करने के लिए एक व्यावसायिक कार्यक्रम है।

2. अवधि और कार्य दिवस**2.1 अवधि**

शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी तथापि छात्रों को कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष के अन्दर कार्यक्रम आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति होगी।

2.2 कार्य दिवस

प्रवेश की अवधि को छोड़कर परंतु परीक्षा अवधि समेत कम से कम 200 कार्य दिवस होंगे तथापि, प्रत्येक सप्ताह कम से कम छत्तीस घंटे कार्य किया जाएगा।

3. दाखिला, पात्रता और प्रवेश प्रक्रिया**3.1 दाखिला**

प्रत्येक वर्ष के लिए 50 छात्रों की एक बुनियादी इकाई होगी।

3.2 पात्रता

उच्च माध्यमिक स्कूल (+2) अथवा समकक्ष परीक्षा, कम से कम 50 अंकों के साथ पास। तथापि, 5 प्रतिशत अंकों की छूट उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/एसजीएफआई खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। अर्हक परीक्षा में अंकों की प्रतिशतता और अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य श्रेणियों के लिए सीटों के आरक्षण में और अंकों में छूट केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार, जो भी लागू हो, प्रदान की जाएगी।

बैडमिंटन — पोस्ट, नेट, रैकेट, शटल कॉक, बास्केटबाल — स्टैंड और बोर्ड, नेट, बाल्स; क्रिकेट — बैटिंग पैड, बैटिंग ग्लोव्स, एबडोमिनल गार्ड, हेलमेट, विकेट कीपिंग ग्लोव्स, विकेट कीपर लेग गार्ड, स्टम्पस, बेल्ल्स, बाल्स, टेनिस बाल; फुटबाल—गोल पोस्ट, नेट, बाल्स (सूक्ष्म आकार 4); फलेग के साथ पोस्ट; जिमनास्टिक्स — वॉल्टिंग टेबल/हॉर्स (पुरुष और महिलाएं), पैरेलल बार (पुरुष), हॉरिजेंटल बार (पुरुष), बैलेंस बीम (समायोजन-योग्य); जिमनास्टिक्स मैट्रेसिज : हैडबाल — गोल पोस्ट, नेट्स, बाल्स; हॉकी — गोल पोस्ट्स, नेट, बाल्स, स्टिक्स, गोल कीपिंग किट; खो-खो — खो पोल्स; लॉन टेनिस — पोस्ट्स, नेट्स, बाल्स, ऐन्टेना; वजन प्रशिक्षण — रॉड्स, वजन प्लेट्स 2.5 किग्रा, 5 किग्रा, 10 किग्रा, 15 किग्रा, 20 किग्रा, कोलर्स, बेंचिज, भार स्टैंड, भार बेल्ट और भार जैकेट, एक मल्टी-जिम अथवा पृथक स्टेशन-बार (कम से कम दस स्टेशन); जूडो/ताइक्वांडो/कुश्ती-मैट्स।

(iii) स्वदेशी कार्यकलापों/सामूहिक प्रदर्शन के लिए उपस्कर

लेजियम्स, डम्बवेल्ल्स, फलेग्स, हूप्स, वेण्ड्स, ब्राल्स, अम्ब्रेलाज, स्किपिंग रॉप्स, संगीत प्रणाली संगीत सीडी कैसेट, सामग्री, जैसेकि स्कार्फ, ड्रिल, रिबन, प्लेकार्ड आदि, सामूहिक प्रदर्शन कार्यकलापों के लिए; लड़ाकू कलाओं के लिए प्रदर्शन उपस्कर।

6.4 सांस्कृतिक कार्यकलाप

उपयुक्त और पर्याप्त बाद्य यंत्र, जब भी विभिन्न कार्यकलापों के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराए जाएंगे।

6.5 विविध

बड़े खेलों, लघु खेलों, मनोरंजन खेलों, रिलेज, लड़ाकू खेलों और योग के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर।

6.6 सुविधाएं

- (i) शिक्षण व अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर।
- (ii) संस्थान, पुरुष और महिला अध्यापक शिक्षकों/छात्र-शिक्षकों के लिए पृथक सामान्य कक्षों की व्यवस्था करेगा।
- (iii) स्टाफ और छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (iv) वाहनों की पार्किंग के लिए व्यवस्था की जा सकती है।
- (v) संस्थान में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था की जाएगी।
- (vi) कैम्पस की नियमित सफाई, पानी और शौचालय सुविधाओं, फर्नीचर व अन्य उपस्करों की मरम्मत और उन्हें बदलने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(टिप्पणी : संयुक्त संस्थान के मामले में बहु-प्रयोजन हाल, खेल मैदान, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाओं (पुस्तकों और उपस्करों में आनुपातिक वृद्धि के साथ) तथा अनुदेशात्मक स्थान से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भागीदारी की जा सकती है।)

7. प्रबंधन समिति

संस्थान में एक प्रबंध समिति होगी, जिसका गठन सम्बद्धन विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार के नियमानुसार, यदि कोई हो, किया जाएगा। ऐसे नियमों के अभाव में, संस्थान अपने आप प्रबंध समिति का गठन करेगा। समिति के अंतर्गत प्रायोजक सोसायटी/ट्रस्ट के प्रतिनिधि, शारीरिक शिक्षाविद, सम्बद्धन विश्वविद्यालय और स्टाफ के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

परिशिष्ट-7

शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी. एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदण्ड और मानक

1. प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.) कार्यक्रम एक व्यावसायिक कार्यक्रम है, जो कक्षा VI-X में शारीरिक शिक्षा के लिए शिक्षक तैयार करने और कक्षा XI-XII में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद कार्यकलाप आयोजित करने के लिए है।

2. अवधि और कार्य दिवस

2.1 अवधि

बी.पी. एड. कार्यक्रम दो शैक्षिक वर्षों अथवा चार सेमेस्टर्स की अवधि के लिए होगा। तथापि, छात्रों को कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष के अंदर कार्यक्रम अपेक्षाओं को पूरा करने की अनुमति होगी।

2.2 कार्य दिवस

प्रति वर्ष कम से कम 200 कार्य दिवस होंगे, दाखिले और परीक्षा आदि को छोड़कर। संस्थान, एक सप्ताह में (सप्ताह में पांच अथवा छः दिन) न्यूनतम 36 घंटे के लिए कार्य करेगा।

3. दाखिला, पात्रता और प्रवेश प्रक्रिया

3.1 दाखिला

पचास-पचास के दो सेक्शनों के साथ एक सौ छात्रों की बुनियादी इकाई होगी।

3.2 पात्रता

50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री और कम से कम एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथामान्यताप्राप्त खेल-कूद में अंतर-कॉलेज/अंतर-क्षेत्रीय/जिला/स्कूल प्रतियोगिता में भागीदारी की हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री तथा एक अनिवार्य विषय। वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री और राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालय/राज्य प्रतियोगिता में भाग लिया हो अथवा एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथामान्यताप्राप्त खेल-कूद में अंतर-कॉलेज/अंतर-क्षेत्रीय/जिला/स्कूल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के साथ स्नातक डिग्री अथवा संबंधित संघों/एआईयू/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथामान्यताप्राप्त खेल-कूद में राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री और कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव (प्रतिनियुक्त सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए, अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक/कोच)।

तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी व अन्य श्रेणियों के लिए सीटों का आरक्षण केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार नियमों के अनुसार होगा।

3.3 प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश, प्रवेश परीक्षा में (लिखित परीक्षा, खेल दक्षता परीक्षण, शारीरिक स्वस्थता परीक्षण और अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक) प्राप्त अंकों अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के आधार पर गुणावगुणों के आधार पर किया जाएगा।

3.4 फीस

संस्थान केवल ऐसी फीस प्रभारित करेगा जैसी कि एनसीटीई (ट्रयुशन फीस व अन्य फीस के विनियमन के संबंध में गैर-सहायताप्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रभारित योग्य अन्य फीस के विनियमन संबंधी मार्गनिर्देश) विनियमावली, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर यथासंशोधित, सम्बद्धन निकाय/संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, और छात्रों से दान, प्रति व्यक्ति फीस आदि प्रभारित नहीं करेगा।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन और मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

बी.पी.एड. कार्यक्रम, बाल्यावस्था, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ, विषय जानकारी, शिक्षाशास्त्रीय ज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संचार दक्षताओं के ध्येयों के अध्ययन को एकीकृत करने के लिए तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत अनिवार्य तथा वैकल्पिक सिद्धांत पाठ्यक्रम और अनिवार्य स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण सम्मिलित होगी। सिद्धांत तथा व्यावहारिक पाठ्यक्रमों को अनुपात के आधार पर सारांश प्रदान किया जाएगा, जैसाकि सम्बद्धन निकाय द्वारा तय किया जाए। यह स्थूल रूप से एनसीटीई द्वारा सुझाए गए (समय-समय पर संशोधित) संबंधित राज्य अथवा क्षेत्र के लिए पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के अनुरूप होगा।

(क) सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम

सिद्धांत पाठ्यक्रमों के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा, पाठ्यचर्या और खेल-कूद शिक्षाशास्त्र में परिप्रेक्ष्यों के संबंध में पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे। प्रथम वर्ष में सिद्धांत पाठ्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: इतिहास, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत के आधार, शरीर रचना और शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरणीय अध्ययन, योग शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और शिक्षण, संगठन तथा प्रशासन की पद्धतियाँ, खेल प्रशिक्षण, कंप्यूटर अनुप्रयोग, खेल-कूद के सिद्धांत, स्थानापन्न और कोचिंग तथा द्वितीय वर्ष में सम्मिलित होंगे: शारीरिक शिक्षा में समकालीन मुद्दे - स्वच्छता, कल्याण, ओलम्पिक अभियान, पोषाहार और वजन प्रबंधन, खेल शरीर विज्ञान तथा समाजशास्त्र, किनेसियोलॉजी और बायोमेकेनिक्स, खेल औषधि, शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास, माप और मूल्यांकन, खेल प्रबंधन और पाठ्यचर्या डिजाइन, अनुसंधान और सांख्यिकी तथा अनुसंधान प्रोजेक्ट।

(ख) प्रायोगिक कार्य

प्रायोगिक कार्य पाठ्यक्रम, स्कूली बच्चों के लिए उपयुक्त विभिन्न खेल-कूदों और शारीरिक कार्यकलापों में व्यावसायिक दक्षता और क्षमताएं प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन किया जाएगा। इसके अंतर्गत ट्रैक और फील्ड; तैराकी (यदि संभव हो); व्यायाम (जिमनास्टिक्स); योग; एयरोबिक्स; रैकेट खेल : बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, स्क्वैश; टीम खेल : बेसबाल, बास्केटबाल, क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी, नेटबाल, सॉफ्टबाल, शूटिंग, वालीबाल; लड़ाकू खेल, जैसेकि बॉक्सिंग, फेंसिंग, जूडो, कराटे, मलखम्ब, लड़ाकू कलाएं, ताइक्वांडो, कुश्ती; मनोरंजन/लघु खेल, जैसेकि रिले खेल, समूह खेल, लघु खेल, लीड-अप खेल : स्वदेशी खेल जैसेकि कबड्डी, खो-खो; राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यकलाप, जैसेकि ध्वजारोहण, सलामी (मार्च पास्ट), समारोह, जैसेकि शुभारम्भ, समापन, विजय, कैम्पिंग/सैर-सपाटा/हाइकिंग, ट्रैकिंग, सामूहिक प्रदर्शन कार्यकलाप, जैसेकि लेजिम, डम्ब-बेल, अम्ब्रेला, टिपरी, वण्ड, हूप अथवा कोई अन्य उपकरण।

(ग) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण(इंटरशिप)

बी.पी. एड. कार्यक्रम के अंतर्गत अध्येताओं और स्कूल के साथ लगातार क्षेत्र कार्य के लिए व्यवस्था की जाएगी जिससे कि सामंजस्यपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके। कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण-अध्ययन प्रक्रिया में शिक्षकों को अनुभव प्रदान करके खेल-कूद और स्वदेशी कार्यकलापों में बुनियादी दक्षताओं में शिक्षण प्रदान करना है।

स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण शिक्षण अभ्यास के अंतर्गत सामुदायिक भागीदारी सम्मिलित है। स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संघटक शामिल किए जाने चाहिए:

कम से कम 30 पाठ आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 20 पाठ स्कूलों में और 10 पाठ कॉलेज/संस्थान/विभाग में ही कोचिंग पाठ होंगे।

संस्थान को, क्षेत्र कार्य और छात्र-शिक्षकों के अभ्यास शिक्षण-सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूल पर्याप्त संख्या में सहज सुलभ होंगे। वांछनीय है कि उसके अपने खुद के समबद्ध माध्यमिक स्कूल हों। संस्थान, अभ्यास शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने के इच्छुक स्कूलों से वचन-पत्र प्राप्त करेंगे।

4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

कॉलेज/संस्थान को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित का आयोजन करना होगा:

- (क) सभी कार्यकलापों के संबंध में, स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण सहित एक कैलेंडर तैयार करना और स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण और अन्य स्कूल संपर्क कार्यक्रम स्कूल के शैक्षिक कैलेंडर के साथ सिंक्रोनाइज किए जाएंगे।
- (ख) कम से कम दस स्कूलों के साथ व्यवस्था करना, जिसमें स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण और साथ ही कार्यक्रम के अन्य स्कूल-आधारित प्रायोगिकात्मक कार्य के लिए भी उनकी इच्छा का उल्लेख किया जाए। ये स्कूल सभी कार्यकुशलता कार्यकलापों और कार्यक्रम के पाठ्यक्रम के दौरान सम्बद्ध कार्य के संबंध में बुनियादी सम्पर्क बिन्दु कायम करेंगे। राज्य शिक्षा विभाग का जिला/ब्लॉक कार्यालय भिन्न-भिन्न टीईआई के लिए स्कूलों का आबंटन कर सकता है।
- (ग) छात्रों और संकाय के लिए समय-समय पर सेमिनार, संवाद, व्याख्यान और चर्चा समूह आयोजित करके शारीरिक शिक्षा और योग शिक्षा पर व्याख्यान शुरू करना।
- (घ) शैक्षिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना, मूल विषयों से संकाय के साथ अन्योन्यक्रिया सहित, संकाय सदस्यों को शैक्षिक अध्ययन में भाग लेने, अनुसंधान आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में। विश्वविद्यालयों और स्कूलों में अनुसंधान/शिक्षण आयोजित करने के लिए संकाय के लिए छुट्टी का प्रावधान किया जा सकता है।
- (ङ) छात्रों को विमर्शक चिंतन और विवेचित प्रश्न पूछने की दक्षताएं विकसित करने में सहायता प्रदान करने में कक्षा में भागीदारीपूर्ण शिक्षण दृष्टिकोण अपनाना। छात्र, सतत और व्यापक मूल्यांकन रिपोर्टें और प्रेक्षण रिकार्ड रखेंगे जिनमें प्रतिक्रियात्मक विचारधारा के लिए अवसर उपलब्ध होते हैं।

- (च) स्कूल के लिए संसाधनों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए और अध्यापक शिक्षा संस्थान तथा स्कूल के बीच भागीदारी को पाठ्यचर्या और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक शिक्षा संस्थान के संचालन दोनों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- (छ) छात्रों और संकाय की शिकायतों का समाधान करने के लिए तथा कठिनाई समाधान के लिए संस्थान में प्रणालियां तथा प्रावधान किए जाने चाहिए।
- (ज) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए, टीईआई तथा प्रतिभागी स्कूल, छात्र-शिक्षकों के मॉनीटरिंग, पर्यवेक्षण, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए एक परस्पर रूप से सहमत प्रणाली कायम करेंगे।

4.3 मूल्यांकन

प्रत्येक सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के लिए कम से कम 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अंक सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए और 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अंक परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित अवधि के अंत में परीक्षा के लिए निश्चित किए जाने चाहिए तथा कुल अंकों में से एक-चौथाई स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए आबंटित किए जाएंगे, अभ्यास शिक्षण के कार्य के मूल्यांकन सहित। आंतरिक और बाह्य आकलन के लिए भारांश का निर्धारण सम्बद्ध निकाय द्वारा किया जाएगा। छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन पूरे कार्यकुशलता पाठ्यक्रम के दौरान किया जाना चाहिए न कि केवल उन्हें अध्ययन के अपने यूनिटों के भाग के रूप में दिए गए प्रोजेक्ट/क्षेत्र कार्य के आधार पर। आकलन के लिए आधार और प्रयुक्त मानदण्ड छात्रों के लिए पारदर्शी होना चाहिए ताकि उन्हें व्यावसायिक फीडबैक से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। छात्रों को, व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों/अंकों के बारे में जानकारी दी जाएगी जिससे कि उन्हें अपने निष्पादन में सुधार करने का अवसर प्राप्त हो सके। आंतरिक आकलन के आधार के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ अलग-अलग अथवा समूह कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, डायरियां, प्रतिक्रियात्मक पत्रिकाएं आदि शामिल हो सकती हैं।

5. स्टाफ

5.1 शैक्षणिक संकाय

- (i) संख्या (एक सौ छात्रों के एक बुनियादी यूनिट के लिए):
1. प्रिंसिपल : एक
 2. सह प्रोफेसर : दो
 3. सहायक प्रोफेसर : छः
 4. सहायक प्रोफेसर : तीन (अंशकालिक) यदि जरूरी हों
 5. खेल प्रशिक्षक : तीन (अंशकालिक)
 6. योग प्रशिक्षक : एक (अंशकालिक)
 7. आहार-विज्ञानी : एक (अंशकालिक)
- (ii) एक सौ अतिरिक्त छात्रों के दाखिले के लिए, पूर्णकालिक शिक्षक प्रशिक्षकों की संख्या में शारीरिक शिक्षा में आठ तक प्राध्यापकों/सहायक प्रोफेसरों की वृद्धि की जाएगी।
- (iii) शारीरिक शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति इस प्रकार से की जाएगी कि सभी पाठ्यक्रमों/विषयों के शिक्षण और शारीरिक शिक्षा से सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए विशेषज्ञता की उपलब्धि सुनिश्चित हो सके।

5.2 अर्हताएं

(ए) प्रिंसिपल/अध्यक्ष

- (i) 55 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ शारीरिक शिक्षा में मास्टर्स डिग्री (एम.पी.एड./एम.पी.ई.), अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्ड के अनुसार अक्षर ग्रेड "ओ", "ए", "बी", "सी", "डी", "ई", "एफ" के सात बिन्दु पैमाने में "बी"।
- (ii) शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में पीएच-डी।
- (iii) आठ वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव किसी संस्थान/कॉलेज/शारीरिक शिक्षा विभाग में होना चाहिए।
- (iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बद्ध निकाय/राज्य सरकार द्वारा प्रिंसिपल के पद के लिए समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य निर्धारण अनिवार्य होगा।

(बी) सह प्रोफेसर

- (क) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ एम.पी.एड. डिग्री अथवा इसके समकक्ष, अर्थात्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्ड के अनुसार अक्षर ग्रेड "ओ", "ए", "बी", "सी", "डी", "ई", "एफ" के सात पॉइंट पैमाने में "बी"।
- (ख) किसी शैक्षणिक/अनुसंधान पद पर, जो विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा प्रत्यायित अनुसंधान संस्थान/उद्योग में सहायक प्रोफेसर के समकक्ष हो, पीएच-डी अनुसंधान की अवधि को छोड़कर, न्यूनतम आठ वर्ष का अनुभव, प्रकाशित कार्य और पुस्तकों और/या अनुसंधान/नीति पत्रों के रूप में न्यूनतम प्रकाशनों के साक्ष्य के साथ।

टिप्पणी : सह प्रोफेसर के पद के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बद्ध निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य निर्धारण अनिवार्य होगा।

(सी) सहायक प्रोफेसर

55 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ एम.पी. एड. डिग्री अथवा अथवा इसके समकक्ष, अर्थात्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुसार अक्षर ग्रेड "ओ", "ए", "बी", "सी", "डी", "ई", "एफ" के सात पॉइंट पैमाने में "बी"।

टिप्पणी : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बद्ध निकाय/राज्य सरकार द्वारा सहायक प्रोफेसर के पद के लिए समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य निर्धारण अनिवार्य होगा।

(डी) खेल प्रशिक्षक (अंशकालिक)

कम से कम एक खेल में (जैसा लागू हो) विशेषज्ञता के साथ शारीरिक शिक्षा में मास्टर्स डिग्री/स्नातक डिग्री अथवा खेल में (जैसा लागू हो) कोचिंग में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(ई) योग प्रशिक्षक (अंशकालिक)

योग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

(एफ) आहार-विज्ञानी (अंशकालिक)

पोषाहार में मास्टर्स डिग्री अथवा पोषाहार और आहार-विज्ञान में डिप्लोमा के साथ गृह विज्ञान में स्नातक डिग्री।

5.3 तकनीकी सहायता और प्रशासनिक स्टाफ

पुस्तकालय	:	एक
फिजियोथेरापिस्ट	:	एक
ग्राउंड्समैन/मार्कर्स/हेल्पर्स	:	दो
संगीत शिक्षक/बैंड मास्टर	:	एक (अंशकालिक)
आईसीटी अनुदेशक	:	एक (अंशकालिक)
तकनीकी सहायक	:	एक (अंशकालिक)
लेखा सहायक	:	एक
कार्यालय सहायक	:	एक
स्टोरकीपर	:	एक
हेल्पर्स/परिचर	:	दो

अर्हताएं:

संबंधित राज्य सरकार/सम्बद्ध विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा विनिर्धारित

टिप्पणी : मिले-जुले संस्थान के मामले में, प्रिंसिपल तथा शैक्षिक, प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ की कार्यक्रमाओं के बीच भागीदारी की जा सकती है। प्रिंसिपल एक होगा तथा अन्यो को एचओडी कहा जा सकता है।

5.4 सेवा की शर्तें और निबंधन

शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ की सेवा शर्तें, चयन प्रक्रिया, वेतनमान अधिवार्षिकी की आयु तथा तथा अन्य लाभों सहित, राज्य सरकार/सम्बद्ध निकाय की नीति के अनुसार होंगी।

6. सुविधाएं

6.1 आधारिक सुविधाएं

- (i) कम से कम दो कक्ष कमरों, एक बहु-प्रयोजन हाल, एक सेमिनार कक्ष/दस ट्युटोरियल विशेषज्ञता कक्ष कमरों, प्रिंसिपल, संकाय सदस्यों के लिए पृथक कक्षाओं, मेडिकल सुविधा कक्ष, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय तथा एक स्टोर के लिए व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक शिक्षण कक्ष के लिए, जैसेकि कक्षा कमरा, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय आदि के लिए, प्रति छात्र कम से कम 10 वर्ग फुट स्थान के लिए व्यवस्था की जाएगी। बहु-प्रयोजन कक्ष में, कुल निर्मित क्षेत्र के साथ, दो हजार वर्ग मीटर के डायस को मिलाकर, कम से कम दो सौ व्यक्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी।
- (ii) बी.पी. एड. कार्यक्रम के साथ मिलाकर अन्य पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नवत होगा:
 - केवल बी.पी. एड. — 1500 वर्ग मीटर
 - बी.पी. एड. एम.पी. एड. — 2700 वर्ग मीटर
 - बी.पी. एड. डी.पी. एड. एम.पी. एड. — 3900 वर्ग मीटर
 बी.पी. एड. के एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए पांच सौ वर्ग मीटर अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगी।
- (iii) बाह्य खेलों के लिए एक बहु-प्रयोजन खेल मैदान, चार सौ मीटर एथलेटिक ट्रैक (मेट्रो नगरों में 200 मीटर हो सकता है), व्यायामशाला और अंतरंग खेल-कूद के लिए एक हाल होगा।
- (iv) संस्थान कैम्पस, इमारत, फर्नीचर आदि विकलांग अनुकूल होने चाहिए।
- (v) इमारत व सभी भागों में अग्नि संकट के विरुद्ध सुरक्षोपायों की व्यवस्था की जाएगी।
- (vi) बाहरी छात्रों के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास।

6.2 अनुदेशात्मक सुविधाएं

- (i) संस्थान के पास उचित बाड़े के साथ कम से कम 5-8 एकड़ भूमि होनी चाहिए, जिसमें संस्थागत इमारत और भावी विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान और खेल-कूद आयोजित करने के लिए खुला स्थान होना चाहिए। कक्षा कमरों आदि को मिलाकर निर्मित क्षेत्र 1500 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त यूनिट के लिए निर्मित क्षेत्र में 3000 वर्ग फुट तक की वृद्धि की जानी चाहिए। एक संस्थान की अधिकतम दाखिला क्षमता, सभी शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मिलाकर तीन सौ छात्र बनी रहेगी। शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम अन्य शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ नहीं चलाए जाने चाहिए। तीन सौ छात्रों तक की दाखिला क्षमता के लिए सभी शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए पांच से आठ एकड़ तक की भूमि पर्याप्त है। प्रयोगशाला, व्यायामशाला, पुस्तकालय, खेल सुविधाओं की भागीदारी उसी कैम्पस में चलाए जा रहे अन्य शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ की जा सकती है।
- (ii) संस्थान, निकटवर्ती क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त माध्यमिक स्कूलों (पांच से दस तक) के लिए, क्षेत्र कार्य और छात्र-शिक्षकों के अभ्यास शिक्षण सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए सहज रूप में सुलभ होगा। ऐसे संस्थानों से निर्धारित प्रपत्र में एक वचन-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। वांछनीय है कि संस्था का अपने नियंत्रण के अधीन एक संबद्ध स्कूल होना चाहिए।
- (iii) एक पुस्तकालय-सह-वाचनालय कक्ष होगा, जो कम से कम दो हजार शीर्षकों और निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम से सम्बद्ध संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक शब्दकोशों, वार्षिकी, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों (सीडीरोम) और शारीरिक शिक्षा व सम्बद्ध विषयों पर न्यूनतम पांच संदर्भित पत्रिकाओं से सज्जित होगा। पुस्तकालय में फोटोकॉपींग सुविधा और संकाय व छात्र-शिक्षकों के उपयोगार्थ इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर होगा।
- (iv) संस्थान में, अंतरंग खेलों, बाह्य खेलों और शारीरिक कार्यकलापों के लिए उपस्कर और सुविधाएं; खेल औषधि प्रयोगशाला; शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला; शरीर रचना, शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला; मानव निष्पादन प्रयोगशाला; शारीरिक चिकित्सा, एथलीट देखभाल और पुनर्वास प्रयोगशाला, खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला और साथ ही शारीरिक कार्यकलापों के लिए भी, एथलेटिक्स, खेल-कूद, सामूहिक प्रदर्शन ड्रिल्स आदि सहित, जैसाकि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित और नीचे सुझाया गया है:
- (v) शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला; डिजिटल कैमरा, प्लाज्मा एलईडी/एलसीडी टी.वी., डीवीडी रिकार्डर और प्लेयर, स्मार्ट बोर्ड, फोटोकॉपीयर मशीन, सीडी/डीवीडी/रोम, विभिन्न खेलों/दक्षता शिक्षण के लिए, मीडिया प्रोजेक्टर, विडियो कैमरा (हैंडी कैम डिजिटल), डेस्क टॉप्स (टीएफटी)-20, कलर प्रिंटर,

स्कैनर, सार्वजनिक व्याख्यान सिस्टम, वहनीय प्रदर्शन बोर्ड (4 फुट X 7 फुट), कंप्यूटर प्रयोगशाला, 15 डेस्कटॉप (पीएफटी) और इंटरनेट के साथ, इंट्रानेट सुविधाएं, लिब-नेट सेवाओं के साथ, संगीत सिस्टम, सीसीटीवी।

(vi) प्रयोगशाला उपस्कर : संस्थान में विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए निम्नलिखित उपस्कर और सुविधाएं होंगी:

- (क) शरीर रचना, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला, हेमोग्लोबिन मीटर - एक, रेस्पीरोमीटर (वेट) - दो, मानव स्केलटन - एक, तुला मशीन - एक, मानव शरीर सिस्टम चार्ट, सभी सिस्टमों को दर्शाते हुए (प्रत्येक शरीर सिस्टम के लिए कम से कम एक पृथक चार्ट) - कम से कम 10 मानव शरीर अंग सिस्टम मॉडल, खाद्य पोषण चार्ट, संचारणीय और गैर-संचारणीय रोग चार्ट, सड़क सुरक्षा यंत्र चार्ट, प्राथमिक सहायता बॉक्स (प्रारंभिक और उन्नत), ऊंचाई और वजन चार्ट।
- (ख) मानव निष्पादन प्रयोगशाला : शीर्ष प्रवाह मीटर, ड्राई स्पिरो मीटर, पेडोमीटर, हार्ट रेट मॉनीटर, स्टाप वाचिज (इलेक्ट्रॉनिक माप सेकंड के 17100वें तक टाइम अप), ग्रिप डायनमोमीटर, बैक और लेग डायनमोमीटर्स, गोनियोमीटर, एन्थ्रोपोमीटर्स, स्लाइडिंग कैलिपर्स, स्किनफोर्ड कैलिपर्स, स्टील टेप्स, बी.पी. ऐपरेटस (साइगमोमैनोमीटर्स और स्टेथोस्कोप), हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बेंचिज, वाल थर्मोमीटर और बैरोमीटर, मेट्रोनोम, फ्लेक्सोमीटर (शिथिलता मापने के लिए), फिंगर डेक्सटेरिटी परीक्षण, रिएक्शन टाइम ऐपरेटस (दृश्यक और श्रव्य), फुट एंड हैंड रिएक्शन टाइम ऐपरेटस, वाइब्रेटर्स।
- (ग) शारीरिक चिकित्सा, एथलीट देखभाल और पुनर्वास प्रयोगशाला : इन्फ्रा रेड लैम्प, डायग्नोस्टिक टेबल, स्टर्लाइजिंग यूनिट, प्राथमिक सहायता बॉक्स (प्रारंभिक और उन्नत), बी.पी. ऐपरेटस (साइगमोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप), थर्मोमीटर (क्लिनिकल), अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूनिट, व्हील चेयर, विजन चार्ट, क्लचिज, तुला मशीन, आइस बॉक्स, स्ट्रेचर, वैक्स बाथ थेरेपी, आईएफटी (शार्ट वेव डायथर्मो), हॉट पैक्स, आइस पैक्स, मसाज टेबल्स, रेफ्रीजरेटर।
- (घ) खेल-कूद शरीर विज्ञान प्रयोगशाला : वांछनीय : कम से कम दस मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के परीक्षण के लिए पत्र (रेटिंग स्केम्पस और मैन्युअलों के साथ)।

(vii) खेल और क्षेत्र उपस्कर

- (क) एथलेटिक्स : मापन टेप (स्टील) - 15 मीटर (एक), 30 मीटर (दो), 50 मीटर (एक), 100 मीटर (एक); ट्रैक पर निशान लगाने के लिए तार (पचास मीटर) - एक; स्टॉप वाचिज (10 लैप मेमोरी के साथ) - 06; स्टार्टिंग क्लैपर - 02; टेक ऑफ बोर्ड - 02; हर्डल्स - 30; हाई जम्प स्टैंड - एक जोड़ी, हाई जम्प क्रॉस बार्स - 06, पुरुषों और महिलाओं के लिए शॉट-पुट - 6-6; पुरुषों और महिलाओं के लिए डिस्कस - 6-6; पुरुषों और महिलाओं के लिए हैमर्स - 3-3; पुरुषों और महिलाओं के लिए जावेलिन - 5-5; जम्पिंग के लिए वाल्टिंग बॉक्स - दो, रिले बेटन्स - 12, वेट-लिफ्टिंग सेट (ओलम्पिक सेट) - एक सेट।
- (ख) खेलकूद : (i) बैडमिंटन : बैडमिंटन पोस्ट्स (दो सेट), बैडमिंटन नेट्स (6), बैडमिंटन रैकेट (20), शटल कॉक (दस बैरल); (ii) बास्केटबाल : बास्केटबाल स्टैण्ड और बोर्ड (दो सेट), बास्केटबाल बाल (एक दर्जन), बास्केटबाल नेट (चार जोड़ी), बॉक्सिंग - ग्लोव्स, पंचिंग बैग, रिंग (यदि संभव हो); (iii) क्रिकेट : क्रिकेट बैटिंग पैड (तीन सेट), क्रिकेट बैटिंग ग्लोव्स (दो जोड़ी), ऐबडॉमिनल गार्ड (तीन), हेल्मेट (तीन), विकेट कीपिंग ग्लोव्स (दो जोड़ी), विकेट कीपर लेग गार्ड (दो जोड़ी), स्टम्प्स (बारह संख्या), बेल्स (दस संख्या), क्रिकेट बाल; (iv) फुटबाल : फुटबाल पोस्ट (दो सेट), फुटबाल, फुटबाल नेट (चार सेट), फ्लेग के साथ पोस्ट (आठ); (v) हैंडबाल : हैंडबाल पोस्ट (दो सेट), हैंडबाल - बाल (एक दर्ज), हैंडबाल - नेट (चार जोड़ी); (vi) हॉकी : हॉकी पोस्ट (दो सेट), हॉकी - बेल्समेन दर्जन, हॉकी स्टिक (तीस), हॉकी गोल कीपिंग किट (एक); (vii) खो-खो : खो-खो पोल्स (दो सेट); (viii) लॉन टेनिस : लॉन टेनिस पोस्ट (दो), टेनिस बाल्स, टेनिस रैकेट; (ix) टेबल टेनिस : टेबल टेनिस बेल्समेन (दर्जन); (x) वालीबाल : वालीबाल पोस्ट (दो सेट), वालीबाल (बीस), वालीबाल नेट (चार), ऐन्टेना (चार); (xi) वेट-लिफ्टिंग : वेट प्रशिक्षण रॉड (दस), वेट प्लेट्स 2.5 किग्रा, पांच किग्रा, दस किग्रा, पंद्रह किग्रा, 20 किग्रा (दस-दस), कोलर्स (बीस), बेंच (चार), वेट स्टैण्ड (दो), स्केट स्टैण्ड, एक मल्टी-जिम अथवा पृथक स्टेशन-वार (कम से कम दस स्टेशन), वेट जैकेट और वेट बेल्ट; एक मल्टी-जिम अथवा पृथक स्टेशन-वार (कम से कम दस स्टेशन); जूडो/ताइक्वांडो/कुश्ती के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मैट।

- (ग) स्वदेशी कार्यकलापों/सामूहिक प्रदर्शन के लिए उपस्कर : लेजियम (50 जोड़ी); डम्बल्स (50 जोड़ी); भारतीय क्लब (50 जोड़ी), फ्लैग; हूप्स; वैण्ड्स; बाल्स; अम्ब्रेला; स्किपिंग रोप्स; संगीत सिस्टम; संगीत - सीडी/कैसेट; सामग्री जैसेकि स्कार्फ ड्रिल, रिबन, प्लेकार्ड आदि, सामूहिक प्रदर्शन कार्यकलापों के लिए।
- (ड) जिमनास्टिक्स एपेरेट्स : पैरेलल बार (एक सेट) असमान पैरेलल बार (एक सेट), हॉरिजेंटल बार (एक सेट); दो रोमन रिंग (एक सेट), क्लाइम्बिंग रोप (मनीला) (छः), मैट (बारह रबड़, बारह कॉयर), बैलेंस बीम (समायोजन योग्य सेट), मल्टी-जिम (बारह स्टेशन) (एक सेट), वाल्टिंग टेबल (एक सेट), बीट बोर्ड (दो), क्रैश मैट (एक)।

6.3 सांस्कृतिक कार्यकलाप

आवश्यक होने पर विभिन्न कार्यकलापों के लिए उपयुक्त और पर्याप्त वाद्य उपलब्ध कराए जाने चाहिए।। लघु खेलों, मनोरंजन खेलों, रिलेज और लड़ाकू खेल के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर जरूरत होने पर और विशेषज्ञता आधार पर खरीदे जाने चाहिए।

6.4 अन्य सुविधाएं

- (i) शिक्षण व अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर।
- (ii) संस्थान, पुरुष और महिला स्टाफ और छात्रों के लिए पृथक सामान्य कक्षों की व्यवस्था करेगा।
- (iii) पर्याप्त संख्या में शौचालयों की पुरुषों और महिलाओं के लिए, स्टाफ और छात्रों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जाएगी।
- (iv) वाहनों की पार्किंग के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (v) संस्थान में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (vi) कैम्पस की नियमित सफाई, पानी और शौचालय सुविधाओं, फर्नीचर व अन्य उपस्करों की मरम्मत और उन्हें बदलने की प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(टिप्पणी: संयुक्त संस्थान के मामले में, अवसंरचना व अन्य सुविधाओं की विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए भागीदारी की जानी चाहिए।)

7. प्रबंधन समिति

संस्थान में एक प्रबंध समिति होगी, जिसका गठन सम्बद्धन विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो, किया जाएगा। ऐसे नियमों के अभाव में संस्थान अपने आप प्रबंध समिति का गठन करेगा। समिति में प्रायोजक सोसायटी/ट्रस्ट के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ, सम्बद्धन विश्वविद्यालय और स्टाफ के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

परिशिष्ट-8

शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाले वाले शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदण्ड और मानक

1. प्रस्तावना

- 1.1 शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड.) कार्यक्रम एक व्यावसायिक कार्यक्रम है जो उच्च माध्यमिक (कक्षा XI और XII) स्तर के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक तैयार करने और साथ ही कालेजों/विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर/निदेशक/खेल अधिकारी और शारीरिक शिक्षा कालेजों में शारीरिक शिक्षा के विश्वविद्यालय विभागों में शिक्षक प्रशिक्षण तैयार करने के लिए भी है।

2. अवधि तथा कार्य दिवस

2.1 अवधि

एम.पी.एड. कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्षों अथवा चार सेमेस्टर्स की अवधि के लिए होगा तथापि, छात्रों को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के अन्दर पाठ्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी।

2.2 कार्य दिवस

- (क) प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में कम से कम 200 कार्य दिवस/प्रत्येक सेमेस्टर में, परीक्षा और प्रवेश आदि की अवधि को छोड़कर, एक सौ कार्य दिवस होंगे।